कुरुक्षेत्र

नवम्बर-दिसम्बर 1986 मूल्य : 4 रु०

20 सूत्री कार्यक्रम,1986

"कुरुक्षेत्र" के इस अंक से हम 20 सूत्री कार्यक्रम की सचित्र धारावाहिक श्रृंखला आरम्भ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने 20 अगस्त, 1986 को राष्ट्र के समक्ष रखा था। (सम्पादक)

20 सूत्री कार्यक्रम 1986 गरीबी मिटाने की योजना है। यह कार्यक्रम सातवीं योजना की उपलब्धि और अनुभव व लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नये कार्यक्रम में हमारी निम्नलिखित प्रतिबद्धतायें दोहराई गयी हैं, —गरीबी दूर करना, उत्पादकता बढ़ाना, आय की विषमताओं को कम करना, सामाजिक तथा आर्थिक विषमतायें दूर करना तथा जीवन स्तर में सुधार लाना।

1. गरीबी के खिलाफ संघर्ष

हम :

- ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हर गांव में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ हर गरीब को मिल सके;
- उनके साथ मज़दूरी दिलाने वाले रोज़गार कार्यक्रमों को क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों से जोड़ेंगे जिससे राष्ट्रीय और सामुदायिक परिसम्पत्ति में वृद्धि हो। उदाहरण के लिए स्कूलों के भवन, सड़कें, तालाब, ईंधन और चारे के सुरक्षित भण्डार बनायेंगे;
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को निम्न बातों से जोड़ेंगे :
  — उत्पादकता में सुधार
  — उत्पादन में बढ़ोत्तरी
  — ग्रामीण क्षेत्रों और रोज़गार का विस्तार
  — असमानताओं में कमी
- ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन, हथकरघा, दस्तकारी, गांव और लघु उद्योगों और स्व-रोजगार संबंधी कार्यों को और उन्नत बनायेंगे; और
- पंचायतों, सहकारी समितियों और स्थानीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करेंगे।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए ।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें ।

दूरभाष : 382406

वार्षिक चन्दा : 20 रु.

सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा

सहायक निदेशक (उत्पादन) : राम स्वरुप मुंजाल

आवरण पृष्ठ : जीवन अडलजा

आवरण चित्र : फोटो प्रभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से साभार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 32 | **कार्तिक-अग्रहायण-पौष 1908** | **अंक 1-2**

इस अंक में — **पृष्ठ संख्या**

हमारा उद्देश्य गरीबी को दूर करना और पूर्ण रोजगार का सृजन करना है — 2

बस्तर की छपी हुई कोसा साड़ियों और कोसा वस्त्रों की बढ़ती लोक प्रियता — 4
के.एल. जैन

हमारे कार्यक्रमों का लाभ गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे — 6

क्षारीय बंजर में लहलहाती फसल कुछ तकनीकी अनुभव — 8
डा. राजेन्द्र प्रसाद

बीस सूत्री-कार्यक्रम 1986 ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता — 14
पुष्पा रानी

कोशिश जंगल में मंगल की — 16
सूर्य नारायण सक्सेना

समन्वित ग्रामीण विकास — 18
आशुतोष सिन्हा

राष्ट्रीय पुनर्निमाण और नारी — 20
रजनी तोमर

बारानी खेती का विकास — 22
गंगाशरण सैनी

फसलों की खतरनाक दुश्मन-दीमक — 29
गिरिजा 'सुधा'

भूमि कटाव को किसान स्वयं रोक सकते हैं — 34
रामचन्द्र

गांवों में गरीबी के विरुद्ध संघर्ष — 38
सुभाषचन्द सत्य

कृषि उपज का विपणन एवं भंडारण — 42
हरि विश्नोई

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और क्रियान्वयन — 44
रज्जू राय

केरल में ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण — 48
रामबिहारी विश्वकर्मा

हमारा उद्देश्य गरीबी को दूर करना

और

पूर्ण रोजगार का सृजन करना है

20 सूत्री कार्यक्रम, 1986 वास्तव में एक प्रमाण चिन्ह रहा है। प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जोर दिया है कि "हमारे निर्धनता निवारण कार्यक्रम बीस-सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं.....हमें इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करना चाहिए। विकेन्द्रीकृत संस्थाओं को नया जीवन प्रदान किया जाना है।" इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी के विरुद्ध अभियान हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य गरीबी को दूर करना और पूर्ण रोजगार का सृजन करना है। बीस-सूत्री कार्यक्रम निर्धनता खत्म करने की योजना है। सातवीं योजना की अपनी उपलब्धियों और अनुभवों तथा उद्देश्यों के आलोक में इसको नया रूप दिया गया है। पहला सूत्र ग्रामीण गरीबी पर इसके प्रहार के लिए सरकार की नीति के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी निवारण कार्यक्रम प्रत्येक गांव में हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। हमें उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार लाने तथा ग्रामीण रोजगार का विस्तार करने के लिए ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को आपस में मिलाना है। इस सन्दर्भ में हमारे विभाग के कार्यक्रम विशेष रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास कार्यक्रम को काफी महत्व मिला है।

समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार को दर्शाते हैं लेकिन अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि राज्य सरकारें उपचारात्मक कार्रवाई भी कर रही हैं। फिर भी, मैं गम्भीर चिन्ता वाले कुछ मुद्दों को दोहराना चाहूंगा। इन विषयों में शामिल हैं– अपात्र परिवारों का चयन, केवल लगभग 11-12 प्रतिशत परिवारों का गरीबी की रेखा को पार करना, परिसम्पत्तियों के 30 प्रतिशत का सही न पाया जाना, बड़ी संख्या में परिवारों की सहायता के पश्चात् निगरानी न रखना और लगभग 234 प्रतिशत मामलों में कोई आय का सृजन न किया जाना। अन्त में लगभग 16 प्रतिशत मामलों में रिकार्ड के अनुसार परिसम्पत्तियों की लागत और लाभार्थियों द्वारा परिसम्पत्तियों की आंकी गई कीमत के बीच 500 रु. से अधिक का अन्तर होना कदाचार और निधियों के दुरुपयोग का सूचक है।

हालांकि, ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) योजना के अधीन कोई भौतिक लक्ष्य नहीं रखे गए हैं, फिर भी, रिपोर्टों से यह पता चलता है कि अनेक प्रशिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यदि स्व-रोजगार प्रदान करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जाता है तो इससे प्रशिक्षण पर हुआ काफी खर्च बेकार चला जाएगा।

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास" कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ही एक उप-योजना है जो कि महिलाओं का संगठन बनाने तथा उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने से सम्बन्धित है।

हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन बनाई गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु निधियों की आवश्यकता पर गौर किया है । अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की 10 प्रतिशत निधियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है । हम इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन की गई कार्रवाई का मूल्यांकन करने के पश्चात्, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में भी सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु ऐसा प्रावधान करने पर विचार करेंगे । हमने बार-बार राज्य सरकारों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षिक कियाँ है कि रोजगार कार्यक्रमों में किसी भी ठेकेदार को नहीं लगाया जाना चाहिए । फिर भी हमें, लगातार रोजगार कार्यक्रमों में ठेकेदारों को लगाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं । रोजगार कार्यक्रमों में बिचौलियों और मध्यस्थों के होने से लक्षित वर्गों को मिलने वाले लाभ में ही कमी होगी । आपको इस बारे में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ।

मैं खास तौर पर आपका ध्यान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन चुने गए निर्माण कार्यों में प्रायोगिक आधार पर गारन्टी लागू करने की ओर दिलाना चाहूंगा । हम इस प्रायोगिक दृष्टिकोण के अनुभव की रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि हम इस दृष्टिकोण का आगे विस्तार करने के बारे में निर्णय ले सकें । मैं आशा करता हूं कि हमें अब राज्यों से इस विषय में उत्तर प्राप्त होगा ।

आप यह जानते ही हैं कि ग्रामीण जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण क्षेत्र 1985-86 में इस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है । केन्द्रीय स्तर पर कार्यों के पुनर्गठन के अनुसार हमने राज्य सरकारों को भी यह विषय ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित करने के लिए कहा है ताकि इससे बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके । मुझे आशा है कि राज्यों के द्वारा इस बारे में कार्रवाई करना संभव हो गया है ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पहले से ही चला रही हैं । केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रयास में सहायता करती हैं । ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु चल रहे कार्यक्रमों के निष्पादन और लागत प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए गांव में पेय जल तथा सम्बन्धित जल प्रबन्ध हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है । ऐसा सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय संसाधनों का प्रयोग करके पता लगाई गई समस्याओं के लिए कम लागत वाले समाधान उपलब्ध करा कर किया जाएगा । नीति ऐसे तरीकों का पता लगाने की होगी जो कि चल रहे कार्यक्रमों में आसानी से लागू की जा सके और मिलाई जा सके । इस लक्ष्य में राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि प्रौद्योगिकी मिशन के जल प्रबन्ध संघटक को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के विद्यमान ढांचे को प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाओं को लागू करने में प्रयोग में लाया जाएगा । इस सब के लिए गहन अन्तर-क्षेत्रीय तथा अन्तर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता होगी ।

हमारा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से आरम्भ किये गये ग्रामीण सफाई कार्यक्रम का विस्तार किया जाये । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को स्वच्छ शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करने के अलावा, अन्य वर्गों के लोगों की भी सहायता की जाएगी । इस काम के लिए इस साल हमने 10 करोड़ रु. की व्यवस्था की है जो राज्यों को आवंटित किया जायेगा । तथापि, यह धनराशि तभी दी जाएगी जबकि राज्य भी कम से कम केन्द्रीय प्रावधानों के बराबर की धनराशि उपलब्ध करायें ।

रेगिस्तान, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्र, तटवर्ती और प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियों वाले अन्य पिछड़े क्षेत्रों, जैसी अलग-अलग कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुकूल छोटे-छोटे स्तर पर योजनाएं बनाने की तत्काल आवश्यकता है । विभाग के सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और अन्य गरीबी-निवारण कार्यक्रम ऐसी योजनाओं के महत्वपूर्ण अंग होंगे ।

एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूखा तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं की समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न कृषि तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बीच पूरकता होनी चाहिए । दुर्भाग्य की बात है कि निचले और क्षेत्र स्तर पर ऐसा महसूस किया जाता है कि कार्यक्रमों में समन्वय की कमी है जिसकी वजह से समस्त ग्रामीण विकास नीति का प्रभाव समाप्त हो जाता है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम,

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण जल आपूर्ति जैसे इस विभाग के कार्यक्रमों के साथ कृषि के विभिन्न कार्यक्रमो में समन्वय और विशेष राहत कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्रवाई संगठित आधार पर नहीं हो रही है ताकि उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त किए जा सकें ।

गांधी जी ने कहा था "प्रजातंत्र की मेरी धारणा ऐसी है जिसके अन्दर सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी वही अवसर मिले जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मिल रहे हों ।" आओ हम सब अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने में लगकर ऐसे प्रजातंत्र को प्राप्त करने में अपने को समर्पित कर दें ।☐

(सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों, कृषि मन्त्री द्वारा राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्रियों का 24 अक्तूबर, 1986 का संसद भवन एनेक्सी में हुए सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दिये गए भाषण के कुछ अंश)

बस्तर की छपी हुई कोसा साड़ियों और कोसा वस्त्रों की बढ़ती लोकप्रियता

के.एल.जैन

बस्तर नैसर्गिक कोसा उत्पादन में म.प्र. में प्रथम स्थान रखता है । कोसा जो कि प्राकृति रुप से यहां के जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । 1966-67 से पूर्व आदिवासी कोसा को इकट्ठा करके बाजारों में बेचते थे, दाम बहुत कम था, खरीदने की कोई एजेंसी नहीं थी, उस समय कोसा की दर 10.00 रु. प्रति हजार थी, व्यापारी इस दर से खरीदा करते थे । जिले में कोसा की प्रचुरता को देखते हुए आदिवासियों को मदद करने की दृष्टि से म.प्र. राज्य आदिवासी सहकारी विकास संघ द्वारा 1967 में कोसा वस्त्र के उत्पादन हेतु जगदलपुर में कोसा बुनाई केन्द्र की स्थापना की गई । इसमें वर्ष 1967 में अच्छी दर से कोसा खरीदना प्रारंभ कर दिया । राज्य के बाहर भी कोसा की मांग बढ़ती गई । फल यह हुआ कि कोसा बुनाई केन्द्र एवं व्यापारियों द्वारा कोसा फल की खरीदी में प्रतिद्वंदता बढ़ती गई । कोसा केन्द्र द्वारा आदिवासियों से कोसा की खरीद उचित दाम पर की जाती है और यह प्रयास रहता है कि वे बिचौलियों के शोषण से बचें और उनको अधिकाधिक आर्थिक लाभ हो । कोसा बुनाई केन्द्र से कोसा उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है एवं आदिवासियों को भी बुनाई एवं कताई के कार्य में निपुणता प्राप्त हुई है । कोसा केन्द्र में उत्पादित कोसा वस्त्र की खपत दिनों दिन बढ़ रही है । यहां की छपी हुई साड़ियां एव छपे हुये वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ी है । छपाई में आदिवासी चित्रकला पर आधारित

चित्रित कृतियां लोकप्रिय हैं । कोसा केन्द्र आदिवासियों से कोसा संग्रहण कर एक ओर आदिवासियों का हित संरक्षण किये हुये हैं दूसरी ओर कुटीर हस्त करघा उद्योग को भी संचालित किये हुये है ।

2 अक्टूबर 1980 से बुनकर प्रशिक्षण योजना कोसा केन्द्र में जिले के हरिजन आदिवासी एवं बुनकर परिवारों के लिये प्रारंभ की गई है । प्रथम चरण में बस्तर के 20 प्रशिक्षार्थी सुधरे हुए लूम पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

बस्तर जिले के 5 ग्रामों का चयन करके धागाकरण प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए प्रस्ताव है ताकि भविष्य में जिले का संपूर्ण स्थानीय दोहन हो सके एवं बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान किया जा सके । कोसा केन्द्र द्वारा कोसा उद्योग में निजी उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि बस्तर में इस उद्योग की निरन्तर प्रगति हो सके और कोसा के बने वस्त्र न केवल प्रदेश बल्कि देश-विदेश में लोकप्रिय हो सकें । कोसा केन्द्र द्वारा कारीगरों को सीधे बाजार से परिचित कराने एवं उन्हें अधिकतम् मूल्य दिलाने हेतु कोसा वस्त्रों को प्रदेश एवं देश-विदेश में भेजा जाता है ताकि कारीगरों को उनके द्वारा उत्पादित कोसा वस्त्रों के अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें ।

कोसा केन्द्र में धागाकरण, बुनाई, धुलाई, रंगाई, छपाई एवं फिनीशिंग की संपूर्ण प्रक्रिया होती है । म.प्र. में मात्र इसी केन्द्र द्वारा कोसे की संपूर्ण प्रक्रिया की जाती है । प्रमुखत: साड़ी, मलमल, छपी साड़ियां, रंगीन बार्डर वाली साड़ियां तथा कोटिंग, सर्टिंग, शाल, निर्यात किये जाने जाने वाले वस्त्र, इस केन्द्र में तैयार किये जाते हैं । केन्द्र के पास उत्पादित वस्त्र के विक्रय के लिये एक शोरुम है जहां से खुदरा विक्रय कार्य किया जाता है तथा व्यक्ति संपर्क तथा पत्राचार द्वारा देश के विभिन्न निर्यातकों को भी उनकी मांग के अनुसार वस्त्र की आपूर्ति की जाती है । वर्तमान में कोसा केन्द्र के पास साठ हथकरघे हैं जिनमें से 16 हथकरघे कार्यरत हैं । यह केन्द्र बस्तर जिले के लिये आदर्श केन्द्र है । इस केन्द्र ने गत वर्षों में आदिवासियों से सीधा कोसा फल खरीद कर उन्हें पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मदद पहुंचायी है ।

बस्तर जिले में प्राकृतिक कोसा प्रति वर्ष 5 करोड़ पैदा होता है जिन्हें यहां के आदिवासी संग्रहित करते हैं, जो करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य का होता है । बस्तर जिले के कुल नैसर्गिक कोसाफलों का अधिकतम 10 प्रतिशत कोसा कच्चे माल के रुप में कोसा केन्द्र उपयोग करता है तथा शेष 90 प्रतिशत जिले के बाहर चला जाता है । निजी क्षेत्र में कोसा उद्योग की प्रबल संभावनायें कच्चे माल की तीव्र प्रचुरता की वजह से है । कोसा उद्योग को प्रोत्साहन देकर जगदलपुर के इस लोकप्रिय कोसा उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है जो कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा । वर्तमान में समर्थन मूल्य पर आदिवासियों से कोसा की खरीद उद्यमी विकास संस्थान तथा लैम्पस द्वारा की जा रही है । मध्यस्थों को हटाकर आदिवासियों के शोषण को रोकने की कड़ी में कोसा खरीद योजना सफल रही है । कोसा परिधान पवित्रता का प्रतीक है इसलिये कोसा में शुद्धता आवश्यक है और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये कोसा केन्द्र जगदलपुर में शत-प्रतिशत शुद्ध कोसा का उत्पादन किया जाता है और यहां से शुद्ध कोसा विक्रय किया जाता है । कोसा धागा एवं बुनाई में कुल 180 महिला एवं पुरुषों को ट्रायसेम में प्रशिक्षित करके केन्द्र में एवं निजी क्षेत्र में कार्य में लगाया गया है ।

बस्तर जिले का नैसिर्गक कोसा उत्पादन मूलत: प्राकृतिक हालत पर निर्भर करता है । अत: प्रकृति के साथ इसका उत्पादन घटता बढ़ता रहता है इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे स्रोतों का उपयोग किया जा सके जिससे उत्पादन हमारे हाथ में रहे । इसके लिये यह जरूरी है कि रेशम कृषि पालन द्वारा कोसा उद्योग को बढ़ाया जाये । इस कार्य हेतु उद्योग विभाग के पास तकनीकी सामग्री उपलब्ध है । कोसा उद्योग का उत्तरोतर विकास हो इसके लिये जरुरी है कि कोसा वस्त्रों के बिक्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाये इसमें लगने वाले कच्चे माल की पूर्ति समय पर की जाये और यह कच्चा माल कारीगरों को उचित दर पर प्राप्त हो । कोसा वस्त्र को बेचने के लिये केन्द्रों की स्थापना की जाये ।

बस्तर के कोसा उद्योग के विकास के फलस्वरुप न केवल आदिवासियों के जीवन में खुशहाली आयेगी वरन् प्रदेश एवं देश-के औद्योगिक विकास में इससे मदद मिलेगी । आशा की जाती है कि बस्तर के कोसा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सभी स्तरों पर सुविधायें मुहैया की जायेंगी । □

उपसंचालक कृषि (उद्यान)
कार्यालय के ऊपर, मुंगेलिनाका
के पास, सर्किट हाऊस रोड
बिलासपुर (म.प्र.)

हमारे कार्यक्रमों का लाभ

गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे

ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन में महीने-दर-महीने धीरे-धीरे सुधार हुआ है। कुछ राज्य क्षेत्र की कठिनाइयों, कृषि जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि सीमित संसाधनों से हम अपने कार्य-निष्पादन में उच्च-स्तर की कुशलता प्राप्त करें। हमारी लगातार चिन्ता यह होनी चाहिए कि कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के दुरुपयोग को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यक्रमों का लाभ गरीब-से-गरीब लोगों को पहुंचे।

बीस सूत्री कार्यक्रम, 1986 के द्वारा हमें सौंपे गए उत्तरदायित्वों के संदर्भ में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे हमारे कार्यक्रमों को भी काफी महत्व मिला है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कुछ मुख्य कमियां मेरे ध्यान में आयी हैं वे इनसे सम्बन्धित हैं—लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभाओं को शामिल न करना जिसके कारण अपात्र लाभार्थियों का चयन हो जाता है और उपेक्षित वर्ग को शामिल नहीं किया जा पाता, विकास पत्रिकाएं तथा ऋण पास बुकें जारी नहीं की जाती हैं अथवा उन्हें अद्यतन नहीं रखा जाता है, लम्बी अवधि वाली योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं, कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों को कम संख्या में शामिल किया जाता है और सहायता प्राप्त परिवारों की सहायता दिए जाने के पश्चात् देख-रेख नहीं की जाती है।

एक बड़ी रोचक और नयी बात जो मैंने केरल में देखी वह राज्य सरकार द्वारा आयोजित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के व्यापार मेलों से सम्बन्धित है। इन मेलों में लाभार्थियों को अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलता है और मैं ऐसे उत्पादों के स्तर तथा उनकी परिसज्जा से काफी प्रभावित हुआ था। ऐसे प्रयास से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के मनोबल को ऊंचा उठाने में भी मदद मिली है।

मजदूरी रोजगार वाले दो कार्यक्रमों—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मैंने यह महसूस किया है कि जिला स्तर पर योजना बनाने में कुछ कमी है और आमतौर पर जिला स्तर पर शैल्फ आफ प्रोजेक्ट उपलब्ध नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के चयन में तदर्थ निर्णय लेने पड़ते हैं।

श्री रामानन्द यादव, ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री द्वारा, राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रभारी मन्त्रियों का 24 अक्तूबर, 1986 को संसद भवन एनेक्सी में हुए सम्मेलन में दिये भाषण के कुछ अंश

मैने यह भी महसूस किया है कि बाजारों और ग्रामीण गोदामों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कुछ राज्य पर्याप्त लाभ नहीं उठा रहे हैं जबकि ग्रामीण जल-आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत लगाए हैण्डपम्पों और बनाए गए कुओं का रखरखाव भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

गांधी जी ने कहा था–"केन्द्र में बैठकर 20 व्यक्ति सच्चा प्रजातंत्र नहीं चला सकते हैं। यह तो प्रत्येक गांव के लोगों द्वारा निचले स्तर से चलाया जाना है।" इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है।

कोई भी प्रक्रिया जो ग्रामीण गरीब लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बनाई गई है वह अपना काम परिसम्पत्तियों के उचित पुनर्वितरण के द्वारा ही कर सकती है। ऐसी प्रक्रिया भूमि सुधार के उपायों को नजर अंदाज नहीं कर सकती क्योंकि भूमि हमारे ग्रामीण जीवन से अलग न हो सकने वाली सम्पत्ति है। इसलिए राज्य सरकारों के लिये यह बहुत जरूरी है कि वे यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभायें कि भूमि-सुधार के माध्यम से पुनर्वितरक न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों को वफादारी से और तेजी से लागू किया जाए।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं प्रधान मंत्री जी की चिन्ता से आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। उन्होंने कहा है "गरीबी निवारण कार्यक्रम हमारी नीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें संसाधन जुटाने और उनका उपयोग करने के बारे में अपनी वचनबद्धताओं को किस हद तक पूरा करती हैं। इन सबसे ऊपर यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोग सभी मतभेदों को भुलाकर किस उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं।" हम सभी को इस उद्देश्य के लिए काम करना है। □

मेहनत करो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती

देवेन्द्र कुमार जोशी

मेहनत कश आदमी का साथ भगवान भी देता है और सरकार भी 'मेहनत से अपने हाथों की लकीरें बदल देने वाले नन्दराम के चेहरे पर यह बात कहते हुए एक गर्वभरी खुशी उभर जाती है।

देवास-उज्जैन सड़क पर बसे करीब 4 हजार की आवादी वाले सिगावदा गांव में रहने वाले नन्दराम ने अपनी चमार जाति के पुश्तैनी धन्धे को न करते हुए कुछ और करने की सोची और 10 बरस तक उज्जैन में साइकलों की मरम्मत करता रहा लेकिन फिर अपनी खुद की साइकल की दुकान लगाने का सपना संजोए वापस गांव लौट आया। चूंकि नन्दराम ने अपनी किस्मत बदलने की ठानी हुई थी इसलिये करीब 10-11 बरस पहले ही प्रगतिशीलता की तरफ बढ़ते हुए छोटे परिवार के फायदों को समझते हुए तीन बच्चों के बाद ही अपनी घरवाली राजुबाई का अपरेशन करवा लिया था और निश्चिंत हो गया था।

गाँव लौटकर नन्दराम ने सड़क किनारे गुमटी लगाकर साइकल सुधारने का काम शुरू कर दिया, बड़े हो गए दोनों लड़के भी काम में मदद करने लगे। इधर सयानी हो गई बिटिया का विवाह कर देने के बाद सर पर चढ़े कर्जो का चुकाना और गृहस्थी का खर्चा चलाना दस बारह रुपये रोज की आमदनी में मुश्किल हो गया। जब सरकार ने गांवों की गरीबी दूर करने के इरादे से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया तब सिगावदा में भी देवास-शाजापुर ग्रामीण बैंक की शाखा खुली और 3,600 रुपये सालाना से कम आमदनी होने पर नन्दराम को भी 3,000 रुपये का ऋण मिला ताकि वह नई साइकलें खरीदे, उन्हें किराए पर चलाकर अपनी आमदनी बढ़ाए। नन्दराम को इस ऋण में से 900 रुपये अनुदान भी मिला।

इधर नन्दराम का धन्धा चल निकला और उसने 6 साइकलों से बढ़ाकर 12 साइकलें कर लीं। गांव में दो कमरों का अपना मकान भी बनाया और अपने बड़े लड़के जयराम की शादी भी की। इसके बाद करीब एक बरस पहले नन्दराम का धन्धा अचानक मंदा होता गया और उसकी हालत खस्ता होने लगी। मायूस नन्दराम को एक दिन बैंक अधिकारी ने यह बात बताई कि चूंकि वह गरीबी सीमा रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया है इसलिये उसे सरकार फिर से कर्जा दे सकती है। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। इस बार मिले 2,000 रुपये के ऋण से नन्दराम ने तीन नई साइकलें खरीदकर अपनी आमदनी 20 रुपये रोज तक बढ़ाकर एक बार फिर हाथ की लकीरें बदल डाली हैं। □

जिला प्रकाशन अधिकारी, देवास
मध्य प्रदेश

क्षारीय बंजर भूमि में लहलहाती फसल

कुछ तकनीकी अनुभव

डा. राजेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष, कृषि विस्तार विभाग
केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल

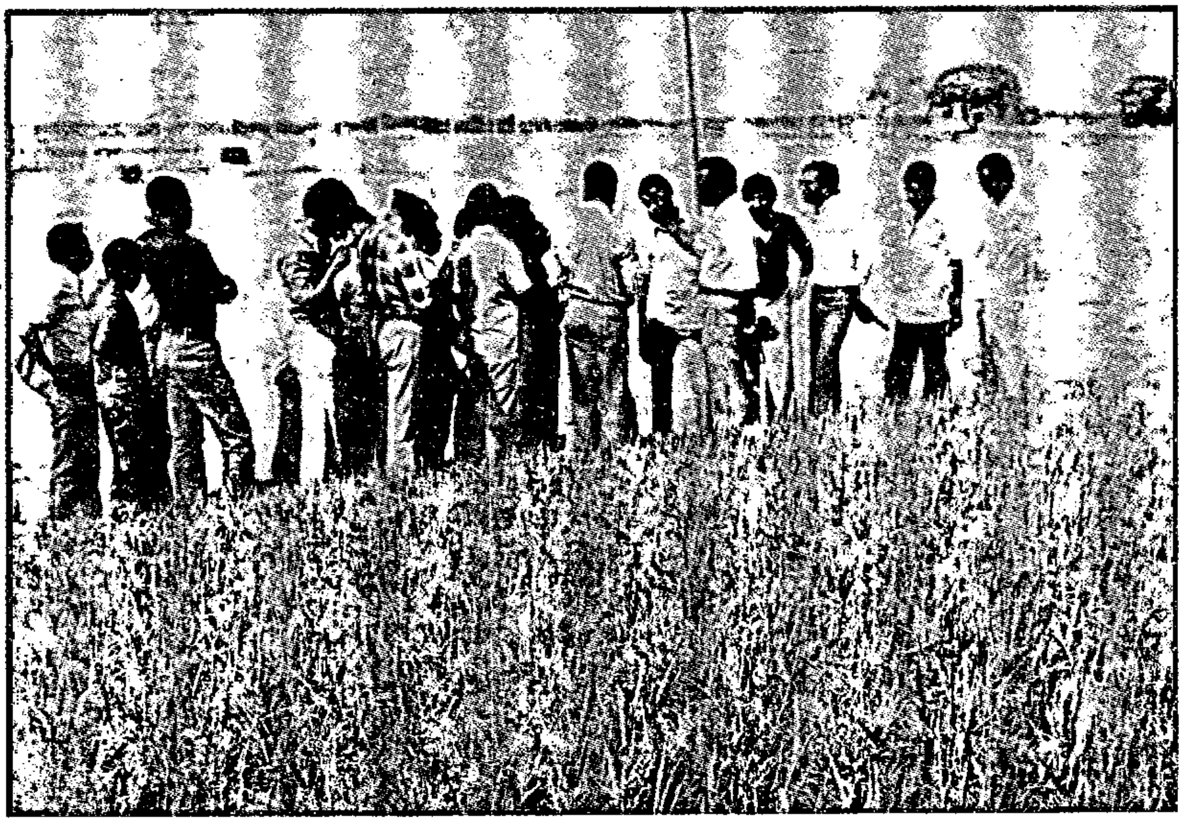

"प्रयोगशाला से किसानों के खेतों तक" प्रोग्राम के आधीन अपनाए हुए एक किसान के खेत में उसर भूमि सुधार उपरान्त धान की खरीफ मौसम में पहली लहलहाती फसल।

भारत की उत्तरोत्तर बढ़ती जन संख्या की खाद्यान पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी नीति को अपनाया जाए जो अधिक कारगर हो। इस दिशा में, इकाई क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाना होगा। भारत सरकार ने अभी-अभी राष्ट्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड" का गठन कर बंजर भूमि की समस्या को उचित प्राथमिकता दी है। विभिन्न वर्गों की बंजर भूमियों में क्षार-ग्रस्त मृदाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।

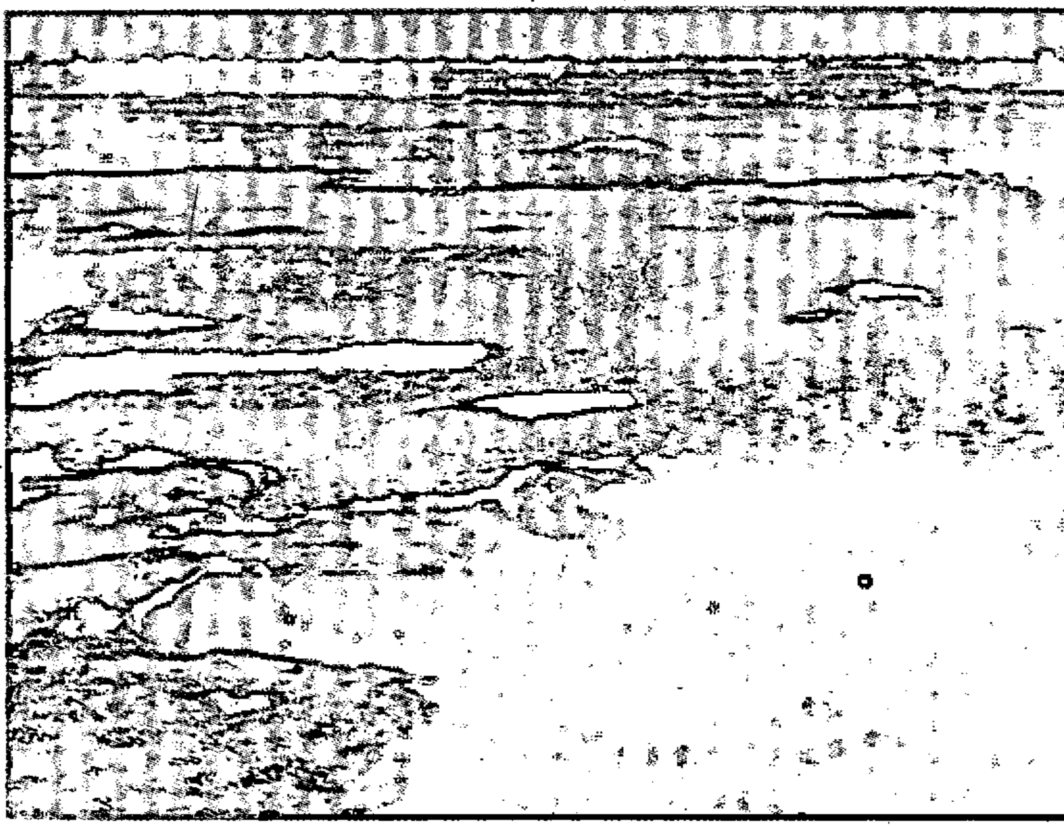

ऊसर से प्रभावित क्षेत्र जहां कुछ भी पैदा नहीं होता ।

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख हैक्टेयर भूमि क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है । ऐसी भूमियों में अधिकतर कुछ भी पैदा नहीं होता तथा बंजर और बेकार पड़ी रहती हैं । इन राज्यों के मुख्य तौर से प्रभावित जिले नीचे तालिका-1 में दिए गए हैं ।

तालिक–1 क्षारीय व लवणों से प्रभावित क्षेत्र

राज्य	प्रभावित जिले
हरियाणा	करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, गुड़गांव, रोहतक और सोनीपत के कुछ क्षेत्र ।
पंजाब	अमृतसर, **भटिंडा**, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला और संगरूर ।
उत्तर प्रदेश	आगरा, हलाहाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, **बलिया का पश्चिमी भाग, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, का उत्तरी भाग, एटा, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुलतानपुर ।**

ऐसी भूमियों को सुधारने तथा कृषि योग्य बनाने के लिए अनुसंधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत 1969 में केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, (के.मृ.ल.अ.सं.) की करनाल में स्थापना की । इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसी **क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए संवेष्टित पद्धति विकसित की है । संस्थान के अध्ययनों के अनुसार भूमि सुधार कार्यक्रम शुरु करने पर प्रति वर्ष (पहले वर्ष से ही) औसतन 6टन प्रति हैक्टेयर अनाज की उपज हो सकती है । के.मृ.ल.अ.सं. में इस बंजर भूमि को सुधारने के लिए किए जा रहे संयुक्त प्रयत्नों को** किसानों तक पहुँचाने का विशाल स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जहां उपज शून्य के बराबर है ऐसी भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाने का लक्ष्य है ।

क्षारीय मृदा का निदान

क्षारीय और लवणीय मृदा सुधार के लिए यह आवश्यक है कि इस मृदा का सही निदान हो । यद्यपि इस मृदा के लक्षण कुछ हद तक देख कर भी जाने जा सकते हैं परन्तु इसकी सर्वोत्तम विधि मृदा परीक्षण ही है ।

क्षारीय मृदा के मुख्य लक्षण

1. गर्मी में इस मृदा की ऊपरी सतह पर सफेद लवणों की पपड़ी जम जाती है जो गीली होने पर काली दिखाई देती है।
2. सूखने पर इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं।
3. यह मृदा गीली हो कर चिपचिपी और सूखने पर सख्त ढ़ेलों में बदल जाती है।
4. इस मृदा में वर्षा का पानी लम्बे समय तक भूमि की ऊपरी सतह पर भरा रहता है, जिससे ऊपरी सतह पर दलदल बनी रहती है।
5. इस मृदा में वर्षा के मौसम में स्पोरोबोलस किस्म की घासें पैदा हो जाती हैं जो गर्मी आने पर अपने आप सूख जाती हैं।
6. वास्तव में यह भूमि बंजर होती है जिसमें कोई लाभदायक फसल नहीं होती।

संवेष्टित पद्धति का प्रचालन

संस्थान में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षणों को किसानों तक पहुंचाया जाता है (ओ.आर.पी. और प्रयोगशालाओं से खेतों तक, कार्यक्रमों के अंतर्गत)। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की क्षारीय भूमि में नीचे दी गई पद्धति को अपनाकर उपज काफी बढ़ाई जा सकती है। इसके मुख्य अंग इस प्रकार हैं :–

(क) खेत को अच्छी तरह समतल करना और चारों ओर मजबूत मेड़ बनाना।

(ख) अतिरिक्त वर्षा के जल को उपयुक्त जल निकास नालियों से निकाल देना।

(ग) अच्छे सिंचाई के जल का निश्चित प्रबंध।

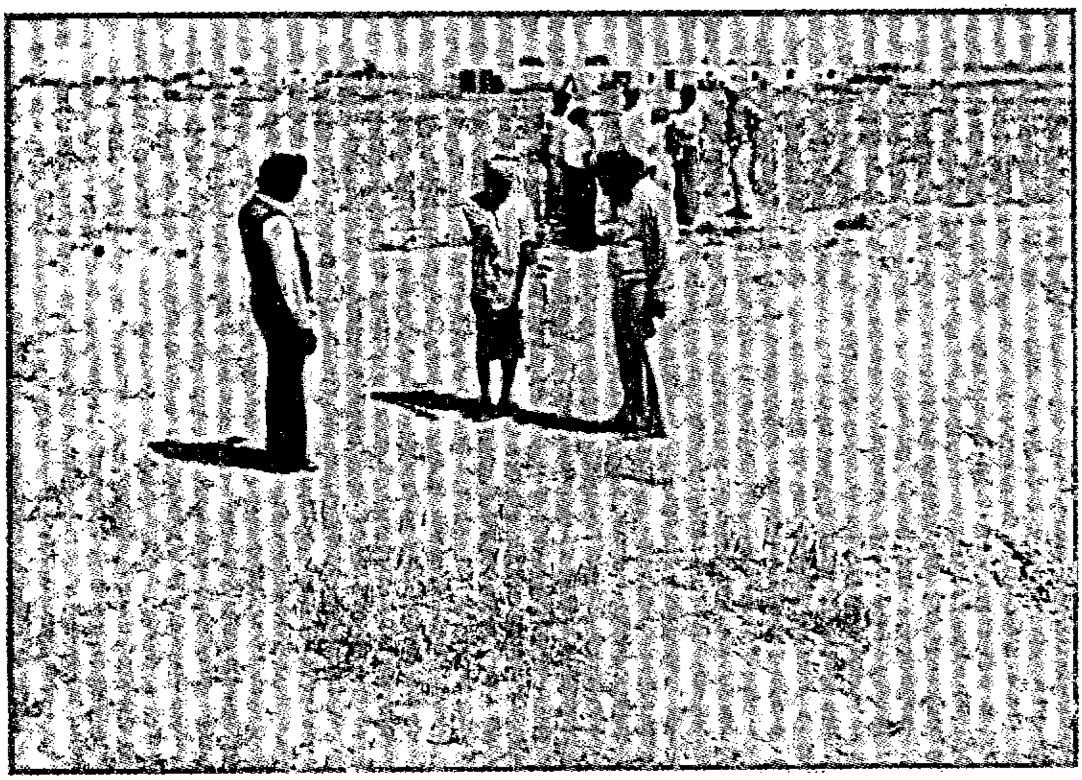

एक किसान का ऊसर से प्रभावित खेत जहां संस्थान के वैज्ञानिक भूमि सुधार सम्बन्धी वार्तालाप कर रहे हैं।

(घ) मृदा परीक्षण करवा कर उसके अनुसार सुधारकों की मात्रा का उपयोग ।

(ड़) बारीक पिसा हुआ जिप्सम उपयुक्त मात्रा में ऊपरी 4 से.मी. सतह में अच्छी तरह मिलाना ।

(च) धान की रोपाई करने से पहले मिट्टी में जिप्सम मिला कर खेत में 10-15 दिन तक पानी भर कर रखना ।

(छ) खरीफ के मौसम में धान की फसल लगाना (अधिक उपज देने वाली लवण सहनशील किस्मों का चुनाव, समय पर बोआई पौध संख्या अधिक रखना, बिना भूमि को दलदली किए कुछ अधिक उम्र की पौध की रोपाई करना, इत्यादि) ।

(ज) रबी के मौसम में गेहूं और बरसीम/शफतल लगाना । गेहूं की अधिक उपज देने वाली क्षारीय सहनशील किस्मों का चुनाव ।

(झ) गेहूं में हल्की मात्रा में और अधिक बार सिंचाइ करना ।

(ण) आमतौर पर साधारण भूमियों के लिए सुझाई गई नाइट्रोजन की मात्रा से 25% अधिक मात्रा का उपयोग । धान में जिंक का उपयोग जरुर करना ।

(ट) सिंचाई की सुविधा होने पर गर्मीयों में ढैंचा लगाना जिसका हरी खाद के लिए उपयोग करना ।

(ठ) तीन साल तक इस फसल चक्र का नियमित अनुसरण ।

(ड) क्षारीय भूमि कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए और उसमें लगातार फसलें लेते रहना चाहिए ।

अधिक उपज के लिए इस संवेष्टित पद्धति को पूर्ण रूप से अपनाने की सलाह दी जाती है । आरम्भ में कुछ वर्षों तक धान-गेहूँ-ढैंचा (हरी खाद के लिए) क्रमवार लगाना चाहिए । कुछ वर्षों के बाद मृदा में सुधार को देखते हुए अन्य फसलें भी लगाई जा सकती हैं ।

तकनीकी को शीघ्र किसानों तक पहुंचाना

मृदा सुधारने की तकनीक को शीघ्र किसानों तक पहुंचाने के संबंध में के.मृ.ल.अ.सं. सतत प्रयत्नशील है । संस्थान द्वारा इस संबंधी किए गए मुख्य कार्यक्रम हैं :-

1. किसानों के खेतों पर प्रदर्शन : उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किया जाता रहा है । के.मृ.ल.अ.सं. द्वारा 1975 में ओ.आर.पी. के अंतर्गत चार गांवों में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किए गए और इस नवीन विधि को अपनाने में किसानों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया गया । 1977 में अन्य तीन गांवों का चुनाव किया गया, जहां संस्थान के वैज्ञानिकों ने 0.2 या 0.4 है. क्षारीय बंजर भूमि पर मृदा सुधार कार्यक्रम किया और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने सीमित साधनों का उपयोग करके के मृदा सुधार कार्यक्रम शुरु करें । इस के लिए संस्थान द्वारा प्रदर्शनी प्लाटों के लिए उर्वरक इत्यादि भी उपलब्ध कराने का प्रबंध था, जिसका मुख्य लक्ष्य अधिक उपज द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का बहुमुखी विकास है ।

प्रदर्शनों के दौरान यह देखा गया कि उपयुक्त तकनीक अपनाकर क्षारीय बंजर भूमि से पहले वर्ष में ही धान तथा गेहूं की लहलहाती फसल ली जा सकती है । लगभग 600 किसानों के खेतों पर प्रदर्शन करने के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि यदि किसान सुधार कार्यप्रणाली को पूर्ण रुप से अपनाएं तो पहले वर्ष में ही औसतन 4 टन धान और 1.8-2.0 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर की पैदावार ली जा सकती है । साथ ही मृदा में प्रति वर्ष सुधार पाया गया और उत्पादन में भी क्रमशः वृद्धि हुई । संस्थान द्वारा एक पूर्ण संगठित कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें संपूर्ण गांव शामिल होता है । गांव, संस्थान और जिला स्तर पर परामर्श समितियां बनाई जाती हैं । वैज्ञानिक गांव में किसानों के खेतों तथा घरों पर जा कर उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं और क्षेत्र की मृदा सुधार के विषय में विचार विर्मश भी किया जाता है ।

2. प्रयोगशाला से खेतों तक : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में इस संस्थान द्वारा करनाल के पास चार गांवों के समूह में "प्रयोगशाला से खेतों तक" एवं अन्य कई कार्यक्रम शुरू किए । 1979-84 तक लगभग 400 सीमित आय वाले और गरीब किसानों को इस कार्यक्रम का लाभ हुआ । आगे चल कर क्षारीय मृदा सुधार कार्यक्रम को और गांवों के समूहों में चलाया गया । जिसमें करनाल-कैथल सड़क पर जूण्डला, जानी, बीरमाजरा, पियोंत, मंचूरी और गुढ़ा तथा पानीपत के नजदीक बियोली, रजापुर और सेठाना गांवों के 179 सीमित आय वाले और गरीब किसानों को तकनीकी ज्ञान दिया गया । इन किसान परिवारों को 2 वर्ष तक अपनाया जाता है । अब गांवों के समूह को इसके लिए चुना जा रहा है । किसानों से नजदीकी संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों की 15 टीमों को नियुक्त किया गया । इन टीमों ने विभिन्न किसानों के 10-15 परिवारों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमि सुधार के लिए सलाह मश्वरा दिया । इन नवीन उपलब्धियों को अपनाने के लिए किसानों को कृषि सम्बंधी सामग्री द्वारा सहायता दी जाती है तथा साथ ही इन मृदाओं को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

इन प्रदर्शन कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी संस्थान द्वारा फसल के मौसम में खेतों पर किसानों की शंकाओं का 'वैज्ञानिक-किसान गोष्ठीयां' आयोजित करके समाधान किया जाता है।

3. विषय संबंधी प्रशिक्षण : मानवीय साधनों के विकास के दृष्टिकोण से के.मृ.ल.अ.सं. ने 8-10 दिन के विषय संबंधी प्रशिक्षण देने का भी विधान किया है ताकि विषय संबंधी जानकारियों का अधिक से अधिक विस्तार व प्रसार हो सके। भूमि सुधार कार्यक्रम में प्रवीणता हेतु इस पाठ्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों को नियमबद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये विशेषज्ञ कृषि की नई विस्तार विधि (ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम) के अन्तर्गत अधिक से अधिक किसानों को भूमि सुधार की गही जानकारी दे सकें।

भूमि सुधार निगमों की स्थापना

क्षारीय मृदा सुधारने के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार एवं विकास निगमों की स्थापना की गई है। ये निगम किसानों को जिप्सम और उर्वरक उपलब्ध कराते हैं और भूमि समतलन के लिए सस्ते दरों पर सहायता देते हैं। 1984 में पंजाब भूमि सुधार निगम ने कीटनाशक दवाओं के वितरण की सुविधाएं भी दी हैं। ये निगम किसानों को भू-बंधक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। इस ऋण नीति के अंतर्गत ऋण नकद राशि में न देकर अन्य रूपों में दिया जाता है, ताकि उसका सदुपयोग किया जा सके। प्रशिक्षण और अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ संस्थान द्वारा इन गतिविधियों पर नजदीकी निरीक्षण रखा जाता है। के.मृ.ल.अ.सं. के निदेशक भी हरियाणा भूमि सुधार निगम के निर्देशक परिषद् के सदस्य हैं।

किसानों की तीव्र प्रतिक्रियाएं

के.मृ.ल.अ.सं. में हो रहे अध्ययन व ओ.आर.पी. तथा "प्रयोगशाला-से-खेतों तक" कार्यक्रम के परिणामों से पता चलता है कि नई विधियों को अपना पर किसान पहले वर्ष के दौरान ही अच्छी फसल ले सकते हैं। राज्य भूमि सुधार व विकास निगमों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1978-79 से 1984-85 तक हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 3 लाख हैक्टेयर से भी अधिक भूमि को सुधारा जा चुका है तथा अब यह बंजर तथा बेकार न रह कर लहलहाती फसल देती है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस बंजर भूमि से अब 6 टन धान और गेहूँ की प्रति हैक्टेयर उपज हो जाती है जिससे 18 लाख टन और अनाज की प्रति वर्ष अतिरिक्त प्राप्ति होती है साथ ही ऐसी भूमियों की कीमत भी सुधार के बाद कई गुणा बढ़ जाती है। भूमि सुधार से एक यह भी लाभ होता है कि वर्षा का पानी जो पहले बह कर बेकार चला जाता था अब अधिक मात्रा में इसी भूमि में ही रिसता है।

भूमि सुधार के क्षेत्र में इन प्रयासों के बावजूद अभी काफी बंजर भूमि ऐसी है जिसका सुधार होना चाहिए। इसके लिए नवीन तकनीकी पद्धति निकालना, उस तकनीकी पद्धति को किसानों तक पहुंचाना, उस पद्धति का क्रियात्मक उपयोग (किसानों द्वारा) आवश्यक है। किसानों के खेतों पर किए गए अध्ययनों से देखा गया है कि इस पूरे कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप देने में किसानों को निम्न बाधायें आती हैं :—

1. सुधारकों और उर्वरकों की मूल्य वृद्धि।
2. दूसरे वर्ष के दौरान उर्वरकों, पौध और भूमि समतलन पर होने वाला व्यय।
3. कुछ किसान मृदा सुधार से प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में शंकित होते हैं।
4. कुछ किसानों को मृदा सुधार के कारण भूमि अंतश्छद होने का डर रहता है।
5. राज्य कृषि विभागों में तकनीकी पद्धति का प्रसार करने के लिए योग्य एवं **विशेषज्ञ** कर्मचारियों का अभाव है।
6. ट्यूबवैल लगाने के लिए विद्युत सप्लाई देने में संबन्धित विभागों द्वारा अधिक समय लगाया जाता है।
7. ऐसे क्षारीय क्षेत्रों की मृदा सुधारने में परेशानी होती है जो पटटे पर दी जाती हैं।

कृषि में हो रही नवीन तकनीक विकास को यथोचित रूप में किसानों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य विभागों और किसानों में और अच्छा तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए प्रादेशिक/जिला स्तर पर सहयोग समितियां बनानी चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक किसान केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा भूमि सुधार कार्य-प्रणाली को अपना कर देश के अनाज उत्पादन में आशाजनक वृद्धि कर सकते हैं। वह समय अब दूर नहीं जब कि सारे ऊसर प्रभावित क्षेत्र जो अब बंजर तथा बेकार पड़े हैं लहलहाती फसलें पैदा करेंगे। □

****

ग्रामीण विकास विभाग के संबध में

मासिक सार

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1986-87 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.2 मिलियन परिवारों-2 मिलियन पुराने और 1.2 मिलियन नए परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको त्रैमासिक लक्ष्यों में बाटा गया है। पहली तिमाही में 15 प्रतिशत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने हैं तथा दूसरी तिमाही में 20 प्रतिशत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने हैं। हमारे-द्वारा की गई आन्तरिक समीक्षा से यह पता चलता है कि कई राज्यों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही है। जून, 1986 के अन्त में केवल 9.2 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य और 9.5 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। जुलाई, 1986 तक ये प्रतिशत क्रमश: 13.5 और 12.4 तक बढ़ गए हैं। उन सभी राज्यों की अलग-अलग विस्तृत पुनरीक्षा की जा रही है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण राजेगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष अर्थात् 1986-87 के लिए दूसरी किश्त के रुप में राजस्थान सरकार को 7000 मीटरी टन गेहूं निर्मुक्त किया गया है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम

विहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, पंजाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वयन हेतु 16669.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं।

1986-87 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को निधियों की पहली किश्त के रुप में केन्द्र शासित प्रशासन लक्षद्वीप को 5.50 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है।

सुखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम

सूखा-सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को केन्द्रीय अनुदान के रूप में 30 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है।

ग्रामीण जल आपूर्ति

केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त निधियों में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) को 2 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है।

कृषि विपणन

ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु केन्द्र शासित क्षेत्र गोवा दमन व दीव को केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 1,38,830.90 रुपया निर्मुक्त किया गया है।

ग्रामीण वाजारों के विकास हेतु तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 8.00 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है।

चुनिंदा नियमित वाजारों के लिए गुजरात, कर्नाटक, पंजाव और राजस्थान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रुप में 14.00 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है।

केन्द्र शासित क्षेत्रों में चुनिंदा नियमित बाजारों के विकास की योजना के अंतर्गत केन्द्र शासित पांडिचेरी को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1.50 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है। उत्पादक स्तर पर श्रेणीकरण केन्द्रों के लिए आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रुप में 1.00 लाख रुपया निर्मुक्त किया गया है।

केन्द्र शासित प्रदेशों में उत्पादक स्तर पर श्रेणीकरण केन्द्रों को योजना के अंतर्गत केन्द्र शासित क्षेत्र गोवा, दमन, व दीव को निर्मुक्त किया गया है ☐

बीस सूत्री कार्यक्रम 1986

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता

पुष्पा रानी

लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जनता को संशोधित 20- सूत्री कार्यक्रम देने का वादा किया था। प्रधान मंत्री के इस वादे की प्रतिक्रिया में 20 अगस्त 1986 को योजना क्रियान्वयन मंत्री श्री अब्दुल गनी खां चौधरी ने संसद के दोनों सदनों में संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986 प्रस्तुत किया। "गरीबी से संघर्ष को सर्वोच्च वरीयता" इस नये बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986 में 95 उपसूत्र हैं। गरीबी से संघर्ष, उत्पादन बढ़ाना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करना और आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख इन उपसूत्रों में किया गया है। इस नये कार्यक्रम पर दृष्टिपात करने से यह बात भलीभांति नजर आती है कि सरकार का झुकाव उद्योग के क्षेत्र से कृषि के क्षेत्र में और अधिक उन्नति करने की ओर है। पिछले बीस सूत्री कार्यक्रम के कई मुद्दे जैसे सार्वजनिक उद्योगों के कार्य, जमाखोरों, तस्करों, और करवंचकों के विरुद्ध कार्रवाई को नये कार्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि ये मुद्दे ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से सीधे संबंध नहीं रखते। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने संबंधित एक नया सूत्र जोड़ा गया है।

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए अभी तक कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की गई है पर सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसके लक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, का यह एक महत्वपूर्ण अंग माना जायेगा। हर एक उपसूत्र से संबंधित योजनाओं और लक्ष्यों को जल्दी ही अंतिम रुप दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार के संबंधित मंत्रालयों को सौंपी गई है। राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। इस नये कार्यक्रम को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि भारत की ग्रामीण जनता के विकास में बाधक हरेक कारण को समाप्त किये जाने का प्रयास किया जाये।

बीस–सूत्री कार्यक्रम 1986 का प्रारुप इस प्रकार है–

सूत्र एक –गरीबी के खिलाफ संघर्ष
सूत्र दो –वर्षा पर निर्भर कृषि विकास
सूत्र तीन –सिंचाई जल का बेहतर उपयोग
सूत्र चार –उन्नत कृषि—अधिक उत्पादन
सूत्र पांच –भूमि सुधार
सूत्र छः –ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम
सूत्र सात –पीने का साफ पानी
सूत्र आठ –सभी के लिए स्वास्थ्य
सूत्र नौ –दो बच्चों का परिवार
सूत्र दस –शिक्षित राष्ट्र
सूत्र ग्यारह –अनुसूचित जातियां/जनजातियों को न्याय
सूत्र बारह –महिलाओं को समानता
सूत्र तेरह –युवा वर्ग के लिए नये अवसर
सूत्र चौदह –सब के लिए मकान

सूत्र पन्द्रह –तंग बस्तियों का सुधार
सूत्र सोलह –वन-विस्तार
सूत्र सत्रह –पर्यावरण की रक्षा
सूत्र अठारह –उपभोक्ता कल्याण
सूत्र उन्नीस –गांवों के लिए ऊर्जा
सूत्र बीस –संवेदनशील प्रशासन

गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है । पिछले पांच वर्षों में दस करोड़ से अधिक व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का जो कार्य हुआ है, वह निस्संदेह सराहनीय है । सरकार ने गरीबी हटाने के कार्यक्रम को सर्वोच्च वरीयता देकर वास्तव में सूझबूझ का परिचय दिया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी योजनाएं तैयार की गई हैं जिनसे रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेगें और चुने हुए समूहों की गरीबी के खिलाफ प्रभावी रुप से कार्य हो सकेगा । चुने हुये समूहों के विकास के साथ-साथ रोजगार के साधनों का विकास वास्तव में बुद्धिमत्ता का परिचायक है ।

यह तो सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है । कृषि पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भार है । इस संदर्भ में बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986 में कृषि संबंधी समस्याओं को जो महत्व दिया गया है वह सर्वथा उचित है । तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करके एक सराहनीय कदम उठाया गया है क्योंकि विदेशों से खाद्य तेलों के आयात पर होने वाले व्यय में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी । फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और कृषि जिन्सों के भंडारण की आधुनिक व्यवस्था करने की योजना भी प्रशंसनीय है । निरन्तर बढ़ते सिंचाई क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए सिंचाई जल का बेहतर उपयोग एक ऐसा कदम है जिससे कृषि क्षेत्र में और अधिक उत्पादन बढ़ने की संभावनाओं को बल मिलता है ।

दो बच्चों का परिवार, महिलाओं को समान अधिकार, बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा का व्यापक प्रसार और लड़कियों की शिक्षा पर जोर आदि ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में काफी मदद मिलेगी । ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए घर बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों को आवास बनाने के लिए सुविधाएं सुलभ कराना आदि ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीरता से संभवत: पहली बार ध्यान दिया गया है ।

वर्षा पर निर्भर कृषि विकास सरकार की दूरदर्शिता का द्योतक है क्योंकि सिंचाई के साधनों का विस्तार सीमित है और कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर कृषि पर ही अधिक है ।

वन विस्तार की योजना आदिवासी लोगों के वन उत्पादन और ईंधन के लिए लकड़ी की जरुरत को पूरा करने के अधिकार को समुचित सुरक्षा प्रदान करती है । ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करना भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिये ।

नया बीस-सूत्री कार्यक्रम उद्योग सम्बन्धी योजनाओं से कृषि और ग्रामीण विकास की तरफ सरकार के रुख को दर्शाता है । देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों में यदि समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं तो इसे गलत नहीं माना जा सकता । वास्तव में देखा जाय तो अब तक की उपलब्धियों, अनुभव और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये ही बीस-सूत्री कार्यक्रम को नया रुप दिया गया है । 1975 में घोषित कार्यक्रम के तेरह मुद्दे नये कार्यक्रम में शामिल नहीं किये गये हैं । इसमें संदेह नहीं कि पिछले कार्यक्रम के कई मुददों पर अमल नहीं हुआ है । जिन मुददों को छोड़ दिया गया है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जायगा । तात्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ में ही प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया गया है । इस नये कार्यक्रम की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि सरकार इस बात को पूरी तरह से जान चुकी है कि अगर देश को सही मायनों में 21वीं सदी मे ले जाना है तो उसकी आबादी को जिसका प्रमुख भाग गांवों में बसता है, की समस्याओं का उन्मूलन करना होगा । □

20/49 लोधी कालोनी
नई दिल्ली

कोशिश जंगल में मंगल की

सूर्य नारायण सक्सेना

आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, अनुसूचित जन-जाति आदि किसी भी नाम से हमारे समाज के पहचाना जाने वाला, वह वर्ग है जो प्राय : जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, शिक्षा तथा जागरण के वरदान से प्राय अछूता और गरीबी की मार का मारा हुआ है । इस वर्ग की संख्या 5 करोड़ 38 लाख यानी समूचे देश की जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत है । लेकिन यह समझना भूल होगी कि हमारी जन-जातियां हर दृष्टि से हीन हैं और उनके पास सुन्दर और अनुकरणीय कुछ भी नहीं है । उनके जीवन में वास्तव में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें प्रभावित किये बिना नहीं रहता । उनका निश्छल-निष्कपट स्वभाव, ईमानदारी, परिश्रमी जीवन, आपसी मेल-मिलाप और सहयोग की प्रवृति भूखे पेट भी नाच गाने की मस्ती, उनके रंग रंगीले लोकनृत्य, फाके होने पर भी भीख न मांगने का स्वभाव, सहज ही मर्म को छू लेते हैं । असाधारण, सहनशीलता के साथ ही स्वाभिमान को ठेस लगने पर ये लोग मरमिटने को तैयार रहते हैं । देश के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में इस वर्ष और कहीं-कहीं दो-तीन वर्षों से भयानक सूखा पड़ा है किन्तु शाम ढली नहीं कि आप को आदिवासियों के गांवों से मांडर (ढोल) की थाप और नाच-गानों की लहरियां सुनाई पड़ने लगेंगी । ऐसा है इन प्रकृति पुत्रों का जीवन ।

संविधान के अनुच्छेद 342 में बताया गया कि 25 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में जनजातियां बसती हैं । केवल हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरि में ही जनजातियां नहीं बताई गई थीं लेकिन हाल में ही लद्दाख को भी जनजातीय क्षेत्र मान लिया गया है । संविधान के आदेशानुसार शासन जन-जातियों के जीवन को उन्नत करने और उनकी गरीबी, शोषण तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कृत-संकल्प है और इनके समग्र विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं चालू हैं । इन कार्यक्रमों और योजनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं । एक वे जो सीधे जनजातियों के लिए ही हैं और दूसरे वे जो सर्वसाधारण के लिए हैं और उनका लाभ जन जातियों को भी मिल रहा है । दूसरे प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम हैं जैसे कि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पीने के पानी की व्यवस्था, खेती बाड़ी और ग्राम विकास के प्रयास, कुटीर और छोटे उद्योगों का विकास, युवकों के और बच्चों के विकास के कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन और भूमिहीनों को भूमि देने के कार्यक्रम, बंधुवा मजदूरों की मुक्ति इत्यादि ।

जनजातीय उपयोजना

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण और उत्थान की ओर विशेष ध्यान देने के लिए एक उपयोजना का प्रावधान किया गया है और इसके अधीन उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । जनजातीय उपयोजना के अधीन 19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 5.01 लाख वर्ग किलोमीटर के आदिवासी क्षेत्र में 3 करोड़ 72 लाख की जनसंख्या को लाभ पहुंच रहा है । अनुमान है कि छठी योजना में जनजातीय उपयोजना पर 55 अरब 35 करोड़ 50 लाख रु. खर्च हुआ और सातवीं योजना में इसके लिए 30 अरब रु. खर्च आने का अनुमान है । इसमें केन्द्र और राज्यों की सरकारों के अलावा करीब 22 अरब 50 करोड़ रु. बैंकों आदि से मिलेगा । इस व्यवस्था से वार्षिक लक्ष्य भी निश्चित किये जाते हैं और वे पूरे हुए या नहीं इसकी हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है । यों हर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा हर महीने भेजना होता है और केन्द्र में योजना आयोग के

अधीन एक पूरा विभाग इसी का हिसाब किताब रखता है कि काम हुआ या नहीं और हुआ तो कितना ।

इस कार्यक्रम के अनुसार जनजातियों के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और 1985-86 में 8 लाख 35 हजार परिवारों को इस योग्य बनाने का लक्ष्य का जिसमें से दिसम्बर, 1985 तक 4 लाख 66 हजार से ऊपर परिवारों की स्थिति सुधर चुकी थी । छठी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य 27 लाख 67 हजार परिवारों का था लेकिन काम इससे अधिक हुआ और 39 लाख 67 हजार जनजातीय परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके ।

इस दृष्टि से जो कार्यक्रम अमल में लाए जा रहे हैं उनका महत्व उल्लेख यहां जरुरी है । पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तीसरा भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी का कार्यक्रम और चौथा है बंधुआ मजदूर मुक्ति कार्यक्रम । यद्यपि ये चारों कार्यक्रम गांव-देहात के सभी गरीब,बेहसारा और कमजोर लोगों के लिए हैं किन्तु क्योंकि सारे ही आदिवासी गांवों में रहते हैं अत: उनको भी इनसे सीधा लाभ पहुंचता है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन जहां 30 लाख 8 हजार से ऊपर परिवार पहले से इसका लाभ उठा रहे हैं वहां 1985-86 में 10 लाख और परिवारों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य था । इनमें जनजातीयों की भी संख्या काफी होगी । यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नगालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे क्षेत्रों में क्योंकि शतप्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और असम, मणिपुर, त्रिपुरा में भी बहुत बड़ा प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 24 प्रतिशत से ऊपर जनसंख्या जनजातियों की है । अत: इन चारों कार्यक्रमों का जनजातियों की भारी संख्या को लाभ पहुंच रहा है ।

गरीबी दूर करने का 1985-86 में एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अधीन जनजातीय परिवारों को सीधे धन की सहायता दी जाती है । इस सहायता के लिए आवश्यक राशि का 49 प्रतिशत केन्द्र देता है और 51 प्रतिशत राज्य सरकारें जुटाती हैं । इस नए कार्यक्रम के अधीन दिसम्बर, 1985 तक केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को 1 करोड़ 12 लाख रुपये दिये ।

कुछ चुने हुए जनजातीय गांवों में विकास का कुछ मूलभूत ढांचा खड़ा करने के लिए प्रति गांव 5 लाख रु. देने की व्यवस्था है । उन 13 राज्यों को जो इसके लिए धन नहीं जुटा पाएंगे 1985 से 1988 तक के चार सालों में केन्द्र 88 करोड़ 70 लाख रुपये देगा ।

जनजातीय विकास के लिए केन्द्र सरकार को विशेष सहायता के अधीन 1985-86 के लिए 1 अरब 40 करोड़ रु. और 1986-87 के लिए 1 अरब 55 करोड़ रु. रखा गया है ।

उत्पादों की बिक्री

सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों द्वारा बनाई गई चीजों और उत्पादों की समुचित बिक्री के लिए एक हाट या बिक्री संघ बनाने की भी योजना है । यह व्यवस्था वहां की जाएगी जहां एक या पास-पास के गांवों को मिलाकर 5000 की आबादी होगी और उनमें से 50 प्रतिशत आदिवासी होंगे ।

प्रधान मंत्री ने जनजातीय लोगों के परम्परागत हस्तशिल्प आदि के विकास पर बहुत जोर दिया है । अत: उनकी कलाओं और दस्तकारियों के सुधार पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है । इससे भी इन लोगों को रोजगार मिलेगा और इनकी आमदनी बढ़ेगी ।

स्वास्थ्य और शिक्षा

आर्थिक प्रगति के साथ कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो जनजातियों के स्वास्थ्य में सुधार, इलाज, स्कूली और प्रौढ़ शिक्षा तथा इन्हे अच्छी नौकरियों आदि के योग्य बनाकर समाज में प्रतिष्ठित और अन्य वर्गों की बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में कारगर कदम कहे जा सकते हैं ।

इस कार्यक्रम के अधीन और जनजातीय उपयोजना के अधीन आदिवासी लड़कियों के छात्रावासों के लिए 1985-86 में 1 करोड़ 50 लाख की सहायता का प्रावधान किया गया । अनुसूचित जनजातियों के मेडीकल और इंजीनियरी में पढ़ने वाले छात्रों को किताबों के रुप में सहायता दी जाती है और पत्येक तीन छात्रों के लिए 5-5 हजार रु. की किताबें दी जाती हैं । आई.ए.एस.. आई.पी.एस. और केन्द्र तथा राज्यों की ऊंची नौकरियों तथा बैंकों जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, इत्यादि के भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए भी जनजातीय छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग देकर तैयार किया जाता है ।

विदेशों में अध्ययन के लिए भी आदिवासी छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

1985-86 में 28 हजार से ऊपर ऐसे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य था जहां पीने के पानी की बेहद किल्लत है । इनमें से कई गांव आदिवासी क्षेत्रों में है । इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लिए मकान बनाने का, मकानों के लिए जमीन देने, गांवों में बिजली पहुंचाने, पेड़ लगाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के कार्यक्रमों से भी जनजातियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । उदाहरणार्थ 1985-86 में 1400 से ऊपर ऐसे केन्द्र और 6 हजार से ऊपर ऐसे उपकेन्द्र चालू करने

(शेष पृष्ठ 19 पर)

समन्वित ग्रामीण विकास

आशुतोष सिन्हा

भारत कृषि प्रधान देश है। जिसके दो-तिहाई लोग गांवों में रहते हैं। वह शहरों की तड़क-भड़क और भौतिकवादी दुनिया से दूर हैं।

ग्रामवासी किसान मेहनत का जीता-जागता नमूना है। वह सारे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं लेकिन फिर भी आज वे लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। देश की शक्ति यही गांव हैं और इनके स्तर में सुधार के लिए देशव्यापी और अथक प्रयास की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से ग्राम विकास का एक समन्वित कार्यक्रम चलाया गया था। 1976-77 में इसे 20 चुने हुए जिलों में आरम्भ किया गया था। 1978-79 में लघु कृषक विकास एजेन्सी, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमान्ड क्षेत्र विकास की चल रही तीन प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गयी थी। नया कार्यक्रम 2300 विकास खण्डों में आरम्भ किया गया। इनमें से 2000 खण्ड विशेष कार्यक्रमों जैसे लघु कृषक विकास एजेन्सी, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम कमांड क्षेत्र विकास के तहत तथा 300 खण्ड विशेष कार्यक्रमों के क्षेत्र के बाहर थे। अगले वर्ष 300 नये खण्ड शामिल किये गये और 1979-80 के अन्त तक कार्यक्रम 2600 खण्डों में चल रहा था। 2 अक्तूबर 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के सभी खण्डों में लागू किया गया।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सहायता देकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। उन लोगों को वरीयता दी जाती है जो अत्यधिक निर्धन हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में 150 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया था। यह भी सुनिश्चित किया गया कि जिन परिवारों को सहायता दी गयी उनमें से कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति तथा जनजाति से सम्बन्धित हों।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला ग्राम विकास एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। जिला ग्राम विकास एजेंसी का अध्यक्ष जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तालमेल करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। जिला ग्राम विकास एजेंसी का मार्गदर्शन करने के लिए एक निकाय है इसमें जनता के प्रतिनिधि संसद, विधान सभाओं, ज़िला परिषदों के सदस्य जिला ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास बैंकों, लीड बैंकों के प्रधान, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जातियों की महिलाएं सदस्य के रुप में शामिल हैं। जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यन्वयन में पूरी तरह शामिल किया जाता है। लाभ भोगियों का अन्तिम चयन ग्राम सभाओं की बैठक में किया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अपनाई गयी नीति दो तरह की है। पहली नीति के तहत छठी योजना में प्राप्त की गयी सफलताओं को समेकित किया जाना और जो लोग गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सके हैं उनको अनुपूरक सहायता दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण की व्यवस्था है। नीति के दूसरे भाग के अन्तर्गत नये लाभ भोगियों को कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। इन लोगों की सहायता इस प्रकार की जाएगी कि वे एक बार की सहायता से ही गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे।

छठी योजना के कार्यक्रम को नया रुप देने के लिए, नये लाभ भोगियों के लिए निवेश पर उपयुक्त लाभ हेतु प्रति परिवार पहले से अधिक निवेश (न्यूनतम 6000) की व्यवस्था है। सहायता के लिए उपयुक्त परिवारों का पता लगाने के कार्य में जनता के प्रतिनिधियों को और अधिक सक्रिय रुप से शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर निकायों का पता लगा कर अथवा जिला आपूर्ति व विपणन समितियां स्थापित कर

संयोजन में सुधार करने का प्रयास होगा ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा प्रशासकीय प्रबन्ध की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई । इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर कार्यवाही की जा रही है, विशेषकर निचले स्तर पर बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं जिसमें ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजनाएं शामिल है, के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को अधिक सक्रिय रुप से शामिल किया गया है ताकि नये प्रकार की परिवारोंन्मुख परियोजनाओं को अधिक कारगर ढंग से लागू किया जा सके । कार्यक्रम की निकट परिवीक्षा के लिए साथ-साथ मूल्यांकन करने की एक सी प्रणाली शुरु की गयी है जो प्रति मास 36 जिलों 72 खण्डों तथा 10 चालू लाभ भोगियों तथा 10 पुराने लाभभोगियों जिन्हें 2 वर्ष पहले सहायता प्राप्त हुई थी, के एक समूह को लेने के आधार पर की जाती है । सातवीं योजना में यह भी कहा गया है कि परिवारों का निर्धारण परिवार की 4800 रु. वार्षिक आय के आधार पर किया जायेगा । छठी योजना के दौरान यह सीमा 3500 रु. थी ।

मार्च 1986 तक 28 लाख परिवार से भी अधिक कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 40 लाख परिवारों को कार्यक्रम में शामिल करने का संशोधित लक्ष्य रखा गया है । ☐

सच्चा मित्र

—संजय 'सरल'

'जार के मुख्यमंत्री काउन्ट बिट्टी ने एक दिन अपने सेक्रेटरी से कहा, "आप ऐसे सभी लेखकों की एक सूची तैयार कीजिए, जिन्होंने अखबारों में मेरे खिलाफ लिखा हैं ।"

सेक्रेटरी ने एक सप्ताह बाद काउन्ट बिट्टी को एक लम्बी सूची दे दी । सूची में लगभग दो सौ लेखकों के नाम थे । इन सभी लेखकों ने बराबर बिट्टी के खिलाफ अखबारों में लिखा था ।

इस बार काउन्ट बिट्टी ने कहा, "इनमें से उन आलोचकों के नाम चुन कर बताइए, जो अखबारों में मेरी कठोर आलोचनायें करते रहे हों ।"

जब दुबारा नयी सूची बन गयी, तो सेक्रेटरी ने पूछा, "श्रीमान् जी, इन्हें क्या सजा दी जाएगी ?"

"सजा ? कैसी सजा ?" काउन्ट बिट्टी ने कहा, "मैं इनमें से एक ऐसे व्यक्ति को खोजूंगा, जिसने मेरी सबसे अधिक कड़ी आलोचना की है । मैं उसी व्यक्ति को अपने समाचार-पत्र का संपादक बनाऊंगा । मेरा अनुभव है कि सबसे अधिक कठोर आलोचक ही हमारा सच्चा मित्र होता है और वही सच्ची राह दिखाता है ।" ☐

328, राजापुर, इलाहाबाद-2

कोशिश जंगल में मंगल की ....(पृष्ठ 17 का शेष)

का लक्ष्य था और इनमें से काफी जनजातीय क्षेत्रों में हैं । साथ ही स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के कार्यक्रमों से भी आदिवासियों को अन्य ग्रामीणों के समान लाभ पहुंच रहा है ।

6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में भी आदिवासी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

इन सारी बातों की चर्चा करते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वनवासी या आदिवासी वर्ग की कुर्बानी पर ही सारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है । चाहे सड़क बने चाहे बांध चाहे इस्पात या दूसरे बड़े कारखाने खुलें, चाहे रेलें और नहरें निकलें, आदिवासियों की जमीन और गांव ही उजड़ते हैं और उनके जीवन पर ही प्रभाव पड़ता है और वे लोग शहरों में जाकर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने पर मजबूर होते हैं । अतः उनकी जमीन लेकर शीघ्र मुआवजा देने, झूम की खेती का विकल्प देने, अर्थात उनके पुनर्वास का पूरा-पूरा प्रबंध हमारी विकास योजनाओं का अनिवार्य अंग होना चाहिए । तभी जनजातियों को सच्चा संतोष मिलेगा । मुआवजा आदि शीघ्र देने या बाहरी लोगों के द्वारा उनकी जमीन खरीदने पर पाबंदी के कानून अवश्य हैं पर उन पर अमल भी यथा शीघ्र होना चाहिए तभी हम जंगल में मंगल कर पाएंगे और उनके ढोल मंजीरे और जीवन की मस्ती और नाच गाने जिन्दा रहेंगे । ☐

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और नारी

रजनी तोमर

यह एक विडंबना रही है कि भारत में एक ओर कहा जाता रहा कि "जहां नारी का आदर होता वहां देवता निवास करते हैं ।" लेकिन दूसरी ओर सामान्य रूप से परिवार में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व मिलता रहा । भारत में महिलाओं ने भी सदियों से चले आ रहे इस अन्याय और भेदभाव की नियति मानकर स्वीकार ही नहीं किया बल्कि इस अन्याय को प्रश्रय भी दिया । इसका स्पष्ट उदाहरण है परिवार में माता का पुत्र के प्रति विशेष स्नेह । एक समय में यह विषमता इतनी थी कि भोजन, वस्त्र और शिक्षण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में लकड़ों को प्रधानता मिलती थी । गांधी जी ने इस भेद भाव और इसके भयावह परिणामों को पहचाना और कहा कि राष्ट्रीय और सामाजिक पुनर्निर्माण बिना महिलाओं के सक्रिय योगदान के सफल नहीं होगा । फलस्वरूप चेतना की नयी लहर महिलाओं में आयी । स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को तिलांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया । आज हम उन महिलाओं पर गर्व कर सकते हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को नयी गति प्रदान की । गांधी जी ने इस प्रकार देश में महिलाओं की सोयी हुई शक्ति को जगाकर उसे राष्ट्र निर्माण में लगाया ।

स्वतंत्रता मिलने के बाद देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की । महिलाओं ने भी इस प्रगति में पूर्ण योगदान किया । महिलाओं की प्रगति के लिये अनेक वैधानिक और सामाजिक उपाय किये गये । "हिन्दु कोड बिल" जैसे उपायों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देकर पहले से चली आ रही अनेक विषमताओं को दूर किया गया । लेकिन आज भी महिलाओं के कल्याण के लिये संगठित और सर्वांगीण प्रयासों की आवश्यकता बनी हुयी है । शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के दुरुह जीवन को सरल बनाने की बड़ी आवश्यकता है । भारत सरकार ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर "महिला कल्याण" पर विशेष बल दिया । महिला की भूमिका पूरे परिवार, समाज,देश और शैशव से लेकर युवावस्था तक महत्वपूर्ण होती है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिला कल्याण के लिये व्यापक रुप से विचार के बाद विशेष कार्यक्रम और लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास देश के मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है । यही कारण है कि इन दोनों लक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । नवनिर्मित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया है । इस क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों को समन्वित करने और उनकी समीक्षा करने के साथ-साथ उनमें मार्गदर्शन के लिए यह विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है ।

हमारे देश में महिलाओं की संख्या 33 करोड़ से अधिक है जो कुल जनसंख्या का 48.30 प्रतिशत है । संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा और समान अवसर दिये गये हैं । महिलाओं का दर्जा उन्हें राष्ट्रीय विकास कार्यों में पूर्ण रूप से शामिल करके ही बढ़ाया जा सकता है ।

1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और इसी वर्ष "भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति" की रिपोर्ट भी भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी । इस रिपोर्ट में भावी कार्यवाही की समुचित रूपरेखा बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों का पता चला है । तदनुसार महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गयी जो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वरन् राज्य स्तरों पर भी मार्गदर्शिका है । इस योजना में महिलाओं का स्वरूप, परिवार नियोजन, पोषाहार, शिक्षा,रोजगार, कानूनी उपबंध तथा समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं और महिलाओं की

स्थिति सुधारने के लिये सुनियोजित कार्यवाही की जा रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद महिला विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने एवं विस्तार करने के लिए महिला कल्याण कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना है। स्थानीय संस्थाएं भी इस कार्यक्रम को चलाती हैं। कार्यरत महिला होस्टल प्रारम्भ करने के लिए इस योजना के अंतर्गत भवनों के निर्माण या खरीद पर जो खर्च हो उसका 75 प्रतिशत सहायता के रुप में दिया जाता है। भारत सरकार की सहायता से बनाये गये कार्यरत महिला छात्रावासों में 2000 रु. (समेकित) प्रतिमास तक की आय अर्जित करने वाली महिलाएं रहने की पात्र हैं। सातवीं योजना के दौरान 300 अतिरिक्त होस्टल स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। 1985-86 के लिये 170 लाख रु. की स्वीकृति की गयी थी जिसे संशोधित करके 300 लाख रु. तक कर दिया गया है। दिसम्बर 1985 के अंत तक 17 नये होस्टल स्वीकृत कर दिये गये। जिनमें 1070 श्रमजीवी महिलाओं के रहने की क्षमता है और 340 बच्चों के लिए दिन में देखभाल की सुविधाएं भी हैं। अब तक स्वीकृत होस्टलों की कुल संख्या 383 हो गयी है जिनमें 25046 कार्यरत महिलाओं के रहने का स्थान है।

महिलाओं के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के कारण पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्ट सहना पड़ता है। युवा और बूढ़ी विधवाएं, या किसी तरह की मुसीबत की मारी महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था है। आवासीय सुविधाओं के आयाम से महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था है जिससे इन महिलाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह केन्द्रीय प्रयोजित योजना है।

महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावधि गृह बनाये गये हैं जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, अत्याचार शोषण या किसी अन्य कारण से खतरनाक किस्म की स्थिति का सामना करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण, चिकित्सा सुविधा और देखभाल एवं शिक्षण तथा प्रशिक्षण देकर उनको इस योग्य बना दें कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस प्रकार के 26 गृह हैं और नये गृह बनाने का कार्य चल रहा है।

देश में समाज स्वास्थ्य संस्थान पारिवारिक जीवन संस्थान चला रहा है। इनमें छात्रों, किशोरों, विवाहित दंपत्तियों, गर्भवती माताओं, दूध पिलाने वाली माताओं, अध्यापकों और औद्योगिक गृहों के लिए पारिवारिक जीवन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर, निराश्रित, परित्यक्ता और अपंग महिलाओं को काम और मजदूरी के अवसर प्रदान करने के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं के सामजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक अति महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड जरुरत मंद महिलाओं को आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से सहायता देता है।

लघु उद्योगों और इकाईयों तथा बड़े-बड़े उपकरणों की सहायक यूनिटें स्थापित करना इसके अंतर्गत आता है। हथकरघे और हस्त शिल्प यूनिटें स्थापित की जाती हैं जिनमें महिलाओं और अपंग व्यक्तियों को पूर्ण कालिक या अंश कालिक रोजगार दिया जाता है, जिससे उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने में सहायता मिलती है।

समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यवसायिक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख उद्देश्य जरूरत मंद महिलाओं के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत 18-30 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए जिन्होंने स्कूल शिक्षा प्राप्त की है अगली कक्षा या उच्च स्तरीय कक्षाओं की परीक्षा के लिये कोचिंग की जाती है। बोर्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व के विकास और देश की विकासात्मक गतिविधियों में उन्हें भागीदार बनाने के लिये भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पारिवारिक परामर्श केन्द्र भी चल रहे हैं। इसके लिए बोर्ड स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देता है।

महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार द्वारा घोषित की गयी नीति में भी समानता के आधार पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। नारी शिक्षा के विकास के लिये सभी तरह की सम्भावित सहायता प्रदान की जायेगी जिसमें वे जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में बराबरी के साथ आगे बढ़ सकें। प्रौढ़ महिलाओं में साक्षरता अभियान को नई शिक्षा नीति में विशेष महत्व दिया गया है। □

बारानी खेती का विकास

गंगाशरण सैनी

गांवों के विकास बिना भारत की स्थाई प्रगति सम्भव नहीं, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण जनता कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योगों पर निर्भर करती है। भारतीय खेती अब भी अधिकांश वर्षा पर निर्भर है। वर्षा न केवल अनिश्चित है वरन् उसका वितरण भी असमान है। कुल वर्षा का 90-95 प्रतिशत भाग जून से सितम्बर मास तक बरसता है। कभी-कभी वर्षा अक्तूबर मास में भी हो जाती है। खरीफ **मौसम में जलाक्रान्ति तो रबी मौसम में जलाभाव की** समस्या रहती है जिसके कारण फसलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बारानी खेती से कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग मिलता है।

सन् 2000 तक सिंचाई के लिए सम्पूर्ण जल स्रोतों का दोहन करने के उपरान्त भी लगभग 45 प्रतिशत भूमि देश में असिंचित रहेगी।

वर्तमान में देश के कुल 14.2 करोड़ खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 6 करोड़ टन खाद्यान्न बारानी खेती से प्राप्त होता है जो स्पष्टतया महत्वपूर्ण है। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग सभी मोटे अनाज 92 प्रतिशत दालें और लगभग 90 प्रतिशत तिलहनों का उत्पादन बारानी खेती से होता है। इसके अलावा बारानी खेती से कई उद्योग-धन्धों के लिए कच्चे माल की उपलब्धि होती है।

जल संग्रह क्षेत्र का प्रबन्ध

बारानी खेती से अधिक उपज लेने की वैज्ञानिक विधि में सर्व प्रमुख कदम जल संग्रह क्षेत्र का प्रबन्ध है।

क्योंकि बारानी खेती वर्षा के जल पर निर्भर है अतः जल और भूमि का प्रबन्ध इस प्रकार **किये** जाने की जरूरत है जिससे वर्षा के जल का कम से कम भाग बिना काम बहकर नष्ट हो और एकत्रित करके उसका उपयोग फसलोत्पादन के लिए किया जा सके। आमतौर पर जल संरक्षण निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है।

1. जहां वर्षा का पानी गिरे वहीं पर उसका संरक्षण किया जाए।

2. वर्षा के अपवहित जल को भूमि के निचले भाग में एकत्रित करके उसका उपयोग फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई देकर उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाए।

जहां वर्षा का पानी गिरे वहीं पर उसका संरक्षण

जहां पर पानी गिरे उसका वहीं पर संरक्षण करने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए ताकि बारानी खेतों में उगाई जाने वाली फसलों से अधिक उत्पादन लिया जा सके और भूमि के कटाव की रोकथाम भी हो सके

गहरी जुताई

तेज धूप व हवा द्वारा नमी के उड़ते रहने से भूमि में नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है परन्तु प्रायः देखा जाता है कि भूमि की ऊपरी पर्तों की तुलना में नीचे की पर्तों में नमी अधिक मात्रा में मौजूद रहती है। रबी फसलों की बोआई के समय गहरी जुताई के द्वारा इस नमी को ऊपर लाया जा सकता है। इसके अलावा गहरी जुताई के निम्न लाभ हैं :

- वर्षा का पानी अधिक मात्रा में रिसकर प्रवेश करता है जिससे पानी बहकर नष्ट कम होता है।
- भूमि कटाव कम होता है।
- खरपतवारों की वृद्धि भी कम होती है।
- भूमि में वायु संचार होता है जिससे जीवाणुओं की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- पहली वर्षा के साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन भी भूमि में जमा होती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है।
- इन सब उपायों के फलस्वरूप पैदावार अधिक मिलती है।

पलवार (मल्च) बिछाएँ

बारानी क्षेत्रों में नमी संरक्षण की आवश्यकता होती है जिसकी ओर वहां के कृषक ध्यान नहीं देते हैं। यदि बारानी क्षेत्रों में पलवार बिछाया जाए तो उससे निम्न लाभ होते हैं

- पलवार बिछाने से नमी का संरक्षण होता है जिसका उपयोग उगाई जाने वाली फसल द्वारा किया जाता है।
- **यह भूमि कटाव के नियंत्रण में सहायक है ।**
- खरपतवार नहीं उगते हैं, जिससे नमी और पोषक तत्वों की बचत होती है।
- पैदावार में वृद्धि होती है।

ढालू खेतों में भूमि एवं जल संरक्षण उपाय

ढालू खेतों में बोआई करने से पूर्व भूमि कटाव से बचाने वाले उपायों को अपनाना नितान्त आवश्यक है। कम ढालू (लगभग 4 प्रतिशत तक) खेतों को यथासंभव समतल कर लेना चाहिए। इससे अधिक ढलानों वाले खेतों पर ढाल के विपरीत मेंड़ बनानी चाहिये जिन्हें समोच्च बंध की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ ही साथ सभी कृषि कर्षण क्रियाएं जैसे बोआई, जुताई, निराई-गुड़ाई आदि ढाल के विपरीत एवं पंक्तियों में करनी चाहिए। ऐसे खेतों के लिए फसलों का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे फसलें भूमि कटाव को रोकने वाली व भूमि को अधिक से अधिक ढकने वाली हों।

बहुत ढालू खेतों पर जहां भूमि की ऊपरी परत पर्याप्त गहरी है वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना लाभप्रद रहता है। सीढ़ीनुमा खेतों का ढाल अन्दर की ओर रखने से वर्षा के पानी को सोखने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। 33 प्रतिशत से अधिक ढाल वाली भूमि में प्रायः खेती नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की भूमियों को वृक्षों व जंगलों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

सीडड्रिल का इस्तेमाल

बारानी क्षेत्रों में बोआई के लिए सीडड्रिल का इस्तेमाल वरदान सिद्ध हुआ है। सीडड्रिल की सफलता का मुख्य कारण यह है कि यह अधिक गहरे खूड बनाकर बीज को अधिक नमी वाले भाग में डाल सकता है जिससे अंकुरण अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ सीडड्रिल द्वारा पंक्तियों में बोआई होती है जिससे निराई-गुड़ाई और दवाइयां छिड़कने में विशेष सुविधा रहती है। विभिन्न प्रकार के सीडड्रिलों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने गहरे खूड बना सकते हैं एवं खूड खुले रखते हैं। इससे उगते हुए अंकुरों को बाहर निकलने में कठिनाई नहीं होती। नीबुलड्रिल या इंटरनेशनल ड्रिल की क्षमता के समान कोई भी सीडड्रिल इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

उपयुक्त फसलें और उन्नत जातियां चुननी चाहिए

बारानी खेती के लिए ऐसी फसलें और जातियां चुननी चाहिएं, जो वर्षाकाल से मेल खाती हों। सामान्यतः अधिक पैदावार देने की क्षमता वाली और जल्दी तैयार होने वाली उन्नत किस्में उपयुक्त रहती हैं। आमतौर पर मक्का, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, चना, कुसुम, सूरजमुखी **आदि उपयुक्त फसलें हैं जो बारानी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं।** विभिन्न कृषि क्षेत्रों में इनकी विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। उचित किस्मों के चयन के लिये समीप के ग्राम विकास अधिकारी, विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी की सलाह ली जा सकती है।

बीज की मात्रा और बुआई

वर्षा पर आधारित खेती की सफलता की रीढ़ उत्तम बीज व समय पर बुआई है। निकट भविष्य में वर्षा होने की **संभावना होने पर सूखे मौसम में भी बुआई कर सकते हैं।** इस प्रकार से कपास और ज्वार आदि फसलों की बुआई की जा सकती है। बुआई के लिए स्वस्थ, प्रमाणित और उपचारित बीज बोना चाहिए। दलहनी फसलों में 'राइजोबियम कल्चर' लगाना चाहिए। विभिन्न दलहनी फसलों को विभिन्न प्रकार के कल्चर लगाने की आवश्यकता होती है। यदि राष्ट्रीय बीज निगम से बीज खरीदा गया है तो उसे भी कल्चर से उपचारित करना चाहिए। कल्चर से उपचारित बीज बोने से नाइट्रोजन पर होने वाले खर्च में कमी की जा सकती है।

संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल

बारानी खेतों से अधिक पैदावार लेने के लिए उनमें संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों को डालना नितान्त आवश्यक है जिसकी ओर आमतौर पर कृषक ध्यान नहीं देते हैं। गोबर की खाद या कम्पोस्ट आदि कार्बनिक खादों की

पर्याप्त मात्रा बुआई से लगभग 15-20 दिन पूर्व भूमि में मिला देनी चाहिये। उर्वरकों के मिश्रण को पंक्तियों में इस प्रकार **डालना चाहिए कि वह बीज से नीचे रहे । ऐसा करने से उसकी** उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। उत्तम तो यह रहेगा कि मृदा-जांच कराकर ही खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करें।

मानसून के अनियमित होने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं

कभी-कभी मानसून देर से आना, बुआई के बाद मानसून का जल्दी चला जाना, मौसम के बीच में सूखा पड़ जाना इत्यादि मानसून की अनियमितताएं हैं। ऐसी दशा में निम्नलिखित विकल्पों का आसरा लिया जा सकता है

- यदि मानसून देरी से आये तो ज्वार की अपेक्षा मक्का, अरहर और सोयाबीन की फसल बोना अधिक लाभप्रद रहता है। इन फसलों की बुआई जुलाई के दूसरे सप्ताह तक कर सकते हैं। अत्यधिक देरी की दशा में सूरजमुखी की फसल भी ली जा सकती है। इसकी बुआई अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक की जा सकती है।
- यदि मानसून समय पर आ जाएं लेकिन बाद में अनियमित होने से फसलों को नमी की कमी का सामना करना पड़े, तो सुधार के कुछ उपाय अपनाकर संभावित **हानियां कम की जा सकती हैं । यदि पानी की कमी पौधों** की बढ़वार की शुरू की अवस्था में हो जाए तो फसल की बुआई फिर से करनी चाहिए। यदि पौधों की बढ़वार घनी **हो गई हो तो सूखे की स्थिति में नमी की कमी यदि हो जाए** तो छंटनी करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रत्येक तीसरी पंक्ति के पौधे उखाड़ देने चाहिए।
- यदि बीच में सूखा पड़ गया हो तो फसलों के लिए इकट्ठा किये गये अपवहित जल से जीवनरक्षक सिंचाई करनी चाहिए।
- **भूमि में संरक्षित नमी वाष्पन द्वारा होने से बचानी चाहिए ।** इसके लिए फसलों के अवशेष इत्यादि की पलवार (मल्च) बिछानी चाहिए।
- खरपतवारों की रोकथाम के लिए रसायनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से पैदावार में 2-2.5 गुनी वृद्धि हो जाती है। मक्का में 2 कि.ग्रा./है०की दर से एट्राजीन का छिड़काव जरूरत हो तो करना चाहिए। इसी प्रकार सोयाबीन व अरहर में 'लासो' के उपयोग से क्रमशः 19 व 10 क्विटल प्रति हैक्टेयर तक पैदावार मिली जबकि बिना रसायन डाले मक्का, धान, सोयाबीन **व अरहर की पैदावार क्रमशः 14,10,9 व 4 क्विटल प्रति** है० ही प्राप्त होती है।

पानी को बरबादी से बचाइए

निचले पर्वतीय भागों में हर प्रक्षेत्र पर कहीं न कहीं निचले खेत अवश्य मिलते हैं। इन खेतों में वर्षा के कारण **स्वयं पानी भर जाता है । इन्हें बहुत कम श्रम व खर्चे से** छोटे-छोटे तालाबों में बदला जा सकता है। यदि कृषक की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह इन्हें पक्के तालाबों में भी परिवर्तित कर सकता है। पक्के तालाबों में पानी कम रिसता है। इस पानी को सिंचाई की आवश्यकता के समय इस्तेमाल करके अधिक पैदावार ली जा सकती है।

तालाबों के पानी को रबी की फसलों के अंकुरण व एक या दो सिंचाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि गेहूं को पलेवा करके बोने के बाद ताज मूल (क्रॉउन रूट) अवस्था पर एक सिंचाई देने से सर्वाधिक पैदावार मिलती है किन्तु यह पैदावार केवल पलेवा करके बोने की अपेक्षा थोड़ी ही अधिक है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि पानी के भण्डारण में रिसने व वाष्पीकरण से बड़ी हानि होती है। यदि इस पानी को ताजमूल अवस्था तक तालाबों में भरा रखें तो पानी अधिक नष्ट होगा, जबकि केवल पलेवा के लिए **उपयोग करने पर इस पानी को अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल** में उपयोग किया जा सकता है। इससे पानी का अधिक सदुपयोग होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में कुल पैदावार अधिक मिलेगी। यदि पलेवा करने के बाद भी तालाबों में पानी बचा रहता है तो उसे ताजमूल अवस्था में अवश्य इस्तेमाल कर लेना चाहिए।

वर्षा के 40 वर्षों के आंकड़ों से पता चला है कि वर्षा का लगभग 50 प्रतिशत भाग अपवहित जल के रूप में बह कर नष्ट हो जाता है। इस जल को संचित करके सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। परीक्षणों से पता चला है कि खरीफ की फसलों में जैसे सोयाबीन **और मक्का में एक जीवनरक्षक सिंचाई करने से क्रमशः** 14.21 प्रतिशत और 17.03 प्रतिशत अधिक पैदावार मिली। इसी प्रकार रबी की फसलों जैसे गेहूं और कुसुम बोने से पूर्व एक सिंचाई करने से क्रमशः 36.0 प्रतिशत और 27.6 प्रतिशत अधिक पैदावार मिलती है।

यदि उपरोक्त विधियों को अपनाकर बारानी खेती की जाए तो निश्चय ही अधिक पैदावार मिलेगी जिससे **कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।** □

नेहरू युवक केन्द्र : एक नजर

मुक्काविल्ली सीताराम

राजस्थान के अर्ध-शुष्क इलाके में स्थित इसकी राजधानी में कार्यरत नेहरू युवक केन्द्र पिछले एक दशक से अधिक समय से मानव साधन विकास में ग्रामीण युवाओं को लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है । केन्द्र का कार्यक्षेत्र 3000 से अधिक गांवों में फैला हुआ है जोकि जयपुर जिले की 20 से ऊपर पंचायत समितियों के अन्तर्गत आते हैं । केन्द्र के अधीन 111 नवयुवक मंडल व 8 महिला समितियां हैं जिनमें आधे से अधिक दरअसल युवा विकास कार्य में संलग्न हैं । इन क्लबों को नेहरू युवक केन्द्र ही मार्ग निर्देश, प्रेरणा व सहायता प्रदान करता है ।

केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कार्यक्रमों में आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक कार्यक्रमों का समावेश रहता है । इनमें विभिन्न काम धन्धों के लिये प्रशिक्षण को प्रमुखता दी जाती है जिनमें बिजली की फिटिंग, पशुपालन, पम्पसेटों की मरम्मत, साबुन उत्पादन, कपड़े सीना, कढ़ाई शामिल हैं । विभिन्न विभागों व विशेषज्ञों की मदद से कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की भी जानकारी दी जाती है । नेहरू

युवतियों के लिये कार्य शिविर

युवक केन्द्र राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने हेतु भी कार्यक्रम कराता रहता है। नेहरू युवक केन्द्र राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने हेतु भी कार्यक्रम कराता रहता है और इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, ग्रामीण युवाओं की राज्य स्तर पर आपसी सद्भाव यात्रा, युवा केन्द्र युवा नेतृत्व शिविर, युवा समस्याओं पर गोष्ठियां विशेष मामलों पर युवा ग्रामीणों के लिये जानकारी कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का प्रशिक्षण भी आयोजित करता है।

इस केन्द्र ने गांवों में विभिन्न जाति वर्गों में श्रमदान व अन्य कार्य परियोजनाओं के जरिये छूआछूत दूर करने और भावात्मक एकता को मजबूत करने के लिए अपना स्थान बना लिया है। इसके प्रयासों से ही ग्रामीण युवा क्लब और उनके सदस्य विभिन्न सामाजिक वर्गों में आपस में मेलजोल बढ़ाने की प्रेरणा ली है।

ग्राम

शिविर में उत्साही युवक व युवतियां

राष्ट्रीय खेल संस्थान का एक प्रशिक्षित कोच नेहरू युवक केन्द्र से सम्बद्ध है और बालीबाल, खो-खो, एथलेटिक, कुश्ती व कबड्डी जैसे परम्परागत वह आधुनिक खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यरत है । वर्ष, 1985-86 में 2400 युवकों व युवतियों के लिये 12 कोचिंग कैंप लगाये गये । कुछ सदस्यों ने विभिन्न अंतर्राज्यीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर नाम कमाया है ।

विभिन्न युवा गतिविधियों का मुख्य बिन्दु है युवा समन्वयक । राष्ट्रीय खेल संस्थान के कोच तथा राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना के अधीन भर्ती दो युवा स्नातक इसकी सहायता करते हैं । इन स्वयं सेवकों को प्रतिमाह 450 रुपये का भत्ता मिलता है । कई सीमाओं के बावजूद ये निष्ठावान कार्यकर्ता ग्रामीण युवाओं के जीवन को सुधारने के काम में लगे रहते हैं । युवा समन्वयक श्री के.बी. द्रोणा का कहना है कि देर तक काम करने और दूरदराज के गांवों में संचार की समस्या तथा धन की कमी के बावजूद ग्रामीण युवाओं के साथ करने में मैं गर्व महसूस करता हूं ।

नेहरू युवक केन्द्र के कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर गौर करने से पता चलता है कि युवा ग्रामीणों में उपयोगी काम करने के लिये निष्ठा की परम आवश्यकता है । जिन युवाओं तक अनेक कारणों से पहुंचा नहीं जा सकता पर जिन्हें नेहरू युवक केन्द्र के जरिये लाभ पहुंचाया जाना है उनके लिये ऊपर बैठे लोगों का कल्पनाशील और साधनशील होना बड़ा आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को वर्षों की अधीनता और पिछलग्गुपन से छुटकारा दिलाने के लिये उन्हें युवा कार्यों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करना होगा । नेहरू युवक केन्द्र के अनुभव से स्पष्ट और पक्के तौर पर पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास में सक्रिय योगदान के लिए ग्रामीण युवाओं के उत्साह व छिपी हुई शक्ति को बाहर लाना आवश्यक है ।

अनुवाद : ओ.पी. दत्त
96 भारत नगर
दिल्ली-110052

डीजल पम्प संचालन का प्रशिक्षण ।

सभा

विद्यार्थियों, युवाओं व अन्य लोगों में बेहतर संगठन के लिये केन्द्र ने विभिन्न कालेजों के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के सहयोग से संयुक्त सिंचाई कार्य परियोजनाएं चलायीं। अनुसूचित जातियों के युवाओं की प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जयपुर जिले के बल्लुपुरा गांव में विवेकानन्द युवक मंडल के सचिव श्री राम नारायण ने नेहरू युवक केन्द्र के मार्ग निर्देशन में हुई उपलब्धियों का विवरण दिया व बताया कि उन्होंने गांव में शराब के खिलाफ संघर्ष में सफलता पायी और ग्रामीण दम्पत्तियों में परिवार नियोजन का सफल प्रचार किया है।

नेहरू युवक केन्द्र ने युवाओं को संगठित करने के कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरु करने के लिये प्रेरित किया है। युवक मंडल अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम स्वयं ही चलाते हैं और इसके लिये स्लेट, लालटेन आदि सामान की सहायता केन्द्र देता है।

सड़क निर्माण में श्रमदान

फसलों की खतरनाक दुश्मन — दीमक

☐ गिरिजा 'सुधा'

ग्रामीण महिलाओं और किसानों को अपनी फसल और बाग-बगीचों की बढ़वार, आंगन बाड़ी और कच्चे मकानों के फर्श पर कई तरह के खतरनाक दुश्मन कीटों से मुकाबला करना पड़ता है। दीमक भी एक ऐसा ही नन्हा-सा किन्तु खतरनाक कीट है। यह न केवल खेतों में बल्कि घरों में, खलिहानों में, अनाज के भण्डार-गृहों में पकी फसल का अन्न आ चुकने के बाद भी बराबर नुकसान पहुंचाती रहती है। उन्हें सड़ाने,गलाने या बिगाड़ने में इसकी खास भूमिका रहती है।

वैसे तो दीमक संसार के प्रायः सभी देशों में कहीं कम, कहीं अधिक पाई जाती है। परन्तु अधिक सर्द और गरम मुल्कों में तो यह बहुतायत से पाई जाती है। सर्द क्षेत्रों में यह नमी वाले स्थानों पर और गर्म क्षेत्रों में यह भूमि के अन्दर ही अन्दर अपनी जाति का विकास करके नुकसान पहुंचाती है।

अक्सर यह कीट खेतों में खड़ी फसलों जैसे गन्ना, कपास, ज्वार, गेहूं, बाजरा,मूंग, मोठ, अरहर, मटर, चना, सोयाबीन फल वर्ग के पेड़ों,हरे चारे के लिए बोई गई चरी की फसलों, घास या अन्य तरह की वनस्पति को खा जाया करती है। जब भी ये आक्रमण करती हैं तब जितना खुद खाकर नष्ट करती हैं उससे कई गुनी अधिक हानि करती हैं। उसमें अपना बिल बनाकर इनके सामूहिक आक्रमण की वजह से फसल की जड़ों में जड़-कबक (फफून्द) तथा दूसरे कई तरह के रोग लग जाते हैं। यह नन्ही-सी जान हमेशा झुण्ड के रुप में रहती है। इनमें से कुछ तो प्रजनन करने में अक्षम रहती हैं और कुछ प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं। नमी में अन्न का संग्रहण किया गया हो तो वहां पर भी ये अपना ढूहा (घर) बनाकर फसल से प्राप्त वस्तु को नष्ट या खराब कर देती हैं। फैलती भी ये बड़ी तेजी से हैं।

दीमक की जीवन लीला

इस खतरनाक कीट की जीवन लीला सचमुच ही अजीब होती है। समूह में पनपने वाले इस जीव के जीवन चक्र के अनुसार प्रत्येक समूह में एक राजारानी, श्रमिक (मजदूर) तथा रक्षक (सिपाही) दीमक होती हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ग की दीमक का कार्य एवं जीवन शैली अलग-अलग रहती है। इनमें से प्रत्येक वर्ग की दीमकें रंग रूप में विभिन्नता लिए होती है। इस समूह में रानी दीमक सबसे प्रमुख होती है। एक दीमक समूह यानी कबीले में जो कि एक मिट्टी के ढूहे में रहता है, सिर्फ एक रानी दीमक होती है। इसका कार्य सिर्फ अण्डे देना और वंश बढ़ाते रहना है। इनका परिवार बड़ी तेजी से बढ़ता है क्योंकि एक रानी वर्ष भर में 10 लाख से भी अधिक अण्डे दे दिया करती है।

एक ढूहे या दिमकोला में सबसे प्रमुख राजा होता है। वह अपनी रानी दीमक के साथ रहता है। राजा रानी करीब 12 से 15 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अपने दिमकोला में ये अन्दर सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। प्रथम वर्षा के समय पंख वाले दीमक अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। बाहर आकर नर एवं मादा दीमक अपनी-अपनी जोड़ी बनाकर पुनः भूमि में घुस कर मिट्टी का दिमकोला बना लेते हैं। इसके बाद ये भूमि के अन्दर ही अपना एक अलग झुण्ड बनाते हैं। मिट्टी के इसी घर में मादा रानी अण्डे देती है। पहले उसके अण्डों से श्रमिक वर्ग का निर्माण होता है। वे अपना घर यानी दिमकोला बनाना प्रारम्भ कर देते हैं। इन्हीं दीमकों में से रक्षक सैनिक और पंख वाले दीमक समय के अनुसार बनते चले जाते हैं। एक कबीले में प्रति वर्ष प्रायः एक ही पीढ़ी काम करती है। श्रमिक (मजदूर वर्ग का) दीमक प्रायः पीले रंग का होता है। इसकी आंखें तो नाम मात्र की ही होती है, पर दीमक कबीलों में इनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। किसी भी दिमकोला में इनकी संख्या 80 से 90 प्रतिशत तक होती है। वर्षा ऋतु के बाद श्रमिक बांबी (दिमकोला) बड़ी तेजी से बनाते हैं। आसानी से ये किसी भी स्थान से समाप्त नहीं हो पाते हैं। संकट के समय ये सामूहिक रुप से प्रतिकार करते हैं। रक्षक दीमक बड़े तेज होते हैं।

नुकसान की क्रियाएं

दीमकों की बांबी में रहकर ये अक्सर फसलों के भूमिगत क्षेत्र में पौधों की जड़ों को कुतर कर खाने लगते हैं। बड़े पेड़ों पर ये जड़ों पर बांबी बनाकर भी उसकी बढ़वार को रोक देते हैं। घरों में फर्श, पुस्तकों,टाट, अनाज या नमी वाले स्थानों पर रखी वस्तुओं

का नाश्ता करने लगती हैं । भूमि में इनकी बांबी बनने पर बहुत ही मुश्किल से ये नष्ट हो पाती हैं । ये जितना खाती हैं, उससे कम से कम बीस गुना नष्ट अथवा खराब कर डालती हैं ।

रोकथाम कैसे हो ?

दीमकों की रोकथाम के उपायों पर मध्यप्रदेश के एक कीट विज्ञानी डॉ. चि.ब. शिन्दे ने पर्याप्त कार्य के बाद यह पाया था कि रानी दीमक को यदि नष्ट कर देने में सफलता मिल जाए तो दीमक बड़ी तेजी से नष्ट होंगे । उन्होंने रोकथाम के कई उपाय भी बतलाए थे । ये कुछ व्यावहारिक रुप से खरे उतरे हैं । आप भी इन्हें वक्त पर काम में लाकर दीमकों से राहत पा सकते हैं :—

- खेतों में गर्मी की ऋतु में अच्छे हल से दो तीन बार गहरी जुताई करके एक बार भूमि समतल करने वाला पाटा फेर देना चाहिए । इससे बांबीयां होगी तो वे नष्ट हो जाएंगी और दीमक धूप में मर जाएंगे ।
- दीमक के घरों (बांबी या दिमकोला) को खोदकर रानी दीमक को तलाश करके नष्ट कर दें । जहां पर भी बांबी हो उसके अन्दर 5 प्रतिशत की शक्ति वाला बी.एच.सी. पाऊडर अथवा सायनों गैस (सायमेग) पाऊडर डाल कर नष्ट कर डालें ।
- पौध लगाने से पहले बी. एच. सी. पाऊडर, डी.डी.टी. का घोल या क्लोरोडीन नामक कीट नाशी दवा मिट्टी में मिला देनी चाहिए ।
- खेतों में गोबर की कच्ची खाद का प्रयोग नहीं करें क्योंकि उसकी नीव में नमी पाकर दीमक अपनी बांबी बना लेंगी । यदि मजबूरी में कच्ची गोबर डालें तो उसमें बी.एच.सी. पाडऊर मिलाकर, तब डालें ।
- खेत में नीम की निबौलियां बड़े पैमाने पर डालकर उन्हें उगने दें । जब पौध थोड़ी बड़ी हो जाए तब जुताई करवा दें । इससे एक लाभ यह भी होगा कि खेत को हरी खाद मिल जाएगी ।
- फसलों को काटने के बाद पौधे के बचे हुए ठूंठों को इकठ्ठा करके जला दें या कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए एक गहरे गड्डे में गोबर के साथ दबा डालें । इन ठूठों पर दीमक की बांबी बहुत जल्दी बनती है । दीमक की खाई फसल या अन्न को एल्ड्रीन छिड़क कर नष्ट कर देना चाहिए । अच्छा तो यह रहेगा कि उनको कैरोसीन डाल कर जला दें ताकि दीमक इधर-उधर भाग कर छिप नहीं जाएं ।
- बरसात के मौसम में पंख वाले प्रौढ़ दीमक जब भी नजर आएं उन्हें तुरन्त ही मार डालें ।
- गेहूं, गन्ना, ज्वार या अन्य अनाजों के साथ बी. एच.सी. 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज के साथ-साथ दिया जाना चाहिए । इससे बांबी बनने की स्थिति से पहले ही दीमक नष्ट हो जाएंगे ।
- खेतों की सिंचाई करते समय क्रूड आयल (चक्की का तेल) 2 गैलन प्रति एकड़ की दर से मिलाएं या फटे कपड़ों को तेल में भिगोकर नाली के बहाव की जगह रख दें । थोड़ी-थोड़ी देर में तेल के भीगे कपड़ों को बदलते रहें । इस क्रिया के करने से यह तेल भूमि में पानी के साथ बराबर मात्रा में फैल जाएगा तथा अपने प्रभाव से भूमिगत दीमकों को नष्ट कर देगा ।
- खेतों में बचाव के लिए एलड्रीन नामक पाऊडर भी जुताई करते समय छिड़क देना चाहिए । रोग ग्रस्त पौधों पर यानी जिनके पास दीमक की बांबी बनी हो यह पाऊडर छिड़क देना चाहिए ।

इस तरह से थोड़ी-सी सावधानी से किसान और अन्य सभी वर्ग के लोग दीमकों से फसलें, पुस्तकें, संग्रह किया गया अन्न, पौधों को बचा सकते हैं । प्रयत्न करके देखिए तो । ☐

बी 116 विजयपथ
तिलक नगर
जयुपर-302004

ग्रामीण विकास के लिए नई ऋण योजना

केन्द्र सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु देश के चुने हुए 22 खण्डों में प्रायोगिक **आधार पर एक नई योजना शुरु की है । इस योजना के** अन्तर्गत ग्रामीण विकास से जुड़े हुएं लोगों को आर्थिक सहायता सीधे ही नकद रूप में दी जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत अब लाभ उठाने वालों को बीच की एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना **पड़ेगा । पशु पालन कार्यक्रमों के संबंध में पशु पालन समितियां समाप्त कर दी गई हैं और ग्रामीणों को अपनी इच्छा के पशु स्वयं चुनने की** इजाजत दे दी गई है । वह पशु खरीदकर उसके लिए सप्लायर को नकद भुगतान कर सकता है । इसके लिए केवल पशु की खरीद का सत्यापन क्षेत्रीय बैंक अधिकारी द्वारा किया जायेगा । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए कैश मैमों, बीजक, वाउचर आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । ☐

(ग्रा.प.से.)

वह आगे-आगे लक्ष्मी उसके पीछे-पीछे

नटवर त्रिपाठी

खरबूजे के खेत में केसरी लाल

सत्तर साल का टेगड़ा का केसरी लाल लोदा परम्परागत रेजी के धोती-कुर्ते-साफे के लिबास में ही खुद की जीप गाड़ी से अपनी खेती बाड़ी संभालता है। उसका अपना ट्रैक्टर है, कृषि औजार, मोटर साईकिलें हैं और खेड़ली (कोटा) में दर्जनों कमरों वाली कोठी है।

केसरी लाल है तो निपट निरक्षर पर जीवन में आज तक कहीं ठगाया नहीं और न हीं किसी को ठगा ही है। उसके खेत देखे, फसल की उठान देखी, उनका पकाव देखा तो नजर जहां की तहां ठहर जाती है। मैं कभी केसरी लाल के चेहरे को देखता हूँ–कभी फसल को। उसकी हँसती फसलों में उसका चेहरा देखता ठगा-सा रह जाता हूं।

अपनी टूटी साईकिल पर 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से दूध बेच-बेच कर केसरी लाल ने 15-16 साल पहले जमीन खरीदी थी। इन महाशय ने अपने एक पीतल के घड़े को ही बचत बैंक बना रखा है, नोटों से भरे चरू को उल्टा करते हुए बोला, गिनलो रुपये कम पड़े तो बता देना।

ऐसा दिलदार किसान ढूंढो तो ना मिले। जमीन खरीदते ही चौगुने जोश से खेती प्रारंभ की। इसके हाथ में ऐसी तासीर थी फसल बिगडे ही नहीं और बिगड़ती नजर आए तो पहुंच जाए खेती विशारदो के पास। चाहे जो खर्च करना पड़े, चाहे जितनी ठण्ड या गर्मी में हांफना पड़े, कोई साथ दे या न दे वह खुद जुट कर मरती फसल में प्राण फूँक देता है।

मेहनत का फ़ल मीठा होता है, साहब। कहते-कहते उसने बताया ऐसे ही इतनी ही जमीन अपने खेत के सामने और लेली। अब एक जमीन में खाद्यान्न और दूसरी में सब्जियां-फल। उसने पूषा क्रान्ति बैंगन एक बीघे में लगाया। पहले हजार रुपये का बैंगन बेच लिया और बाद में चार हजार ठेके में दे दिया। तिरोई गिलकी चौलाई और मधु खरबूजों की सुगन्ध उसके खेत में सर्वत्र फैल रही है। ढ़लती उम्र को ध्यान में रखते हुए उसने अपने खेतों को बगीचे में बदलना चार साल से प्रारम्भ कर दिया है। उसने आठ बीघे में अमरूद का बगीचा लगाया है। 13 हजार में अमरूद का ठेका दिया। उसके खेत में अमरूद के 600 पेड़ हैं। गरड़ा (धान) और गेहूं पैदा करने में इसकी महारत है। गरड़ा प्रति बीघा 22 से 25 मन पैदा करता है एवं सीजन में वह 60-70 हजार का पैदा कर लेता है।

केसरी लाल आयु के अनुसार बूढ़ा हो गया परन्तु अभी दीखता है पचास का । उसकी शारीरिक ताकत आज भी इतनी ज्यादा है कि वह हर रोज तीन आदमियों जितना काम अकेला करता है । बात करने में हाजिर जवाब, कभी मुरझाया चेहरा नहीं दीखा । मधु खरबूजों से अटे-पटे खेत में से टाल-टाल कर पानी के धोरे में खरबूजे ठण्डे करने के बाद उसने जो खरबूजे खिलाये तो मुझे लगा कि माटी तेरी महिमा अपार । यह कैसा बीज, कैसी धरती, केसरी लाल का मन भी वैसा ही मधुमय इतना मीठा खरबूजा । न कभी खाया न देखा । जितना उसका मन मीठा, खरबूजा दसगुना मधुमय ।

इतना सब कुछ होने के बावजूद वह आज भी इतनी उम्र में भी खूब काम करता है और व्यवहार का इतना धनी है कि घर-बाहर किसी ने उसके चेहरे पर निराशा, थकावट, क्रोध और भय नहीं देखा है । वह आगे-आगे चलता है लक्ष्मी उसके पीछे-पीछे भागती चली आती है । □

के.आर.58, सिविल लाईन,
कोटा, 324001

शिक्षा के प्रसार के लिए कमजोर वर्ग के लोगों में विशेष उपाय

केन्द्र सरकार ने देश में समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष उपाय किये हैं। कमजोर वर्ग में जागरुकता लाने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों में निरक्षरता को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं :—

1. शिक्षा कार्यक्रमों में ऐसे जिलों को, जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है, प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना।

2. साक्षरता कार्यक्रमों में समाज के कमजोर वर्गों को शामिल करना। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वालों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हों।

3. ग्रामीण पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित **जाति या अनुसूचित जनजाति बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने को प्राथमिकता देना ।**

4. पढ़ना-लिखना सीखने जाने वाले लोगों के लिए आगे भी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना ताकि नव साक्षर, साक्षर बनने का पूरा लाभ उठायें और पढ़ाई भूल कर फिर से निरक्षर न बन जाएं ।

5. केंद्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण कार्यात्मक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता देना। स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना, शिक्षा जारी रखने के कार्यक्रम की व्यवस्था और श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना करना।

6. केंद्र सरकार शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 50:50 प्रतिशत के आधार पर सहायता देती है। लड़कियों के लिए विशेष रूप से चलाये जा रहे गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए यह केंद्रीय सहायता 90 प्रतिशत तक है।

7. निरक्षरता को दूर करने के कार्यक्रमों में छात्रों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता देता है।

सातवीं योजना में कार्यात्मक शिक्षा का उद्देश्य 1990 तक सभी अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाना है। इस दौरान प्रौढ़ शिक्षा के विकास, साक्षरता के बाद शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रमों को विकास कार्यक्रमों विशेषकर गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ने, स्वयंसेवी संगठनों, नेहरू युवक केंद्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना को बड़े स्तर पर शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल करने और कार्यात्मक शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम की शुरूआत पर विशेष बल दिया जायेगा। □

आंखों की रक्षा कीजिये

आभा जैन

आंखें आपके तन और मन दोनों का आइना है, आपके तन पर क्या बीत रही हैं आंखें बिना पूछे ही इसका जबाब दे देगी। इसी तरह आपका मन किन स्थितियों से गुजर रहा है इसकी आखें रिर्पोट दे देगी। मन के भावों के अनुरूप कभी आंखों में प्रेम उमड़ता पड़ता है तो कभी क्रोध से कांप रही होती हैं– कभी चाहत में डूबी होती हैं और कभी तृप्ति से परिपूर्ण।

विश्व में हर वर्ष करीब 5 लाख बच्चे अंधे हो जाते हैं और कुछ ही सप्ताह बाद इनमें से करीब 3 लाख बच्चे मर जाते हैं। विटामिन ए की कमी से ही बच्चे अंधे हो जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साठ से सत्तर लाख बच्चे विटामिन ए की सामान्य कमी से पीड़ित हैं जिसका मुख्य कारण कुपोषण है। विटामिन ए की कमी का प्रभाव मुख्य रुप से आंखों पर पड़ता है। गरीब देशों मे एक से पांच वर्ष के बच्चों में अंधत्व का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी होना पाया गया है, अत: हमें चाहिये कि हम बच्चों को विटामिन ए से भरपूर सामग्री दें। बच्चों में विटामिन ए की कमी न रहे इसके लिये गर्भवती महिलाओं को चाहिये कि वह विटामिन ए से युक्त सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करें। बच्चों को प्रारम्भिक 5 माह तक मां का दूध अवश्य ही दिया जाना चाहिये। खरगोश की आंखें अत्यंत सक्षम मानी जाती है। कहा जाता है कि वह गाजर बहुत खाता है अत: गाजर या गाजर के रस का उपयोग आंखों के लिये बहुत आवश्यक है। आंखों के लिए विटामिन ए,बी,सी बहुत आवश्यक होते हैं जो मक्खन, गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां व फलों से मिलते हैं।

आंखें अच्छी स्वस्थ रहे इसके लिये कुछ उपाय प्रस्तुत हैं—

- आंखों की प्रकृति ठंडक पसन्द है अत: सुबह उठते ही मुंह में पानी भरकर मुंह फुलाकर ठंड़े जल से आंखों पर छीटें लगाने चाहिये।
- रात को एक चम्मच त्रिफला मिट्टी के बर्तन में भिगो दो सुबह निथरे पानी से आंखों को अच्छी प्रकार धोयें इससे न केवल आंखों की ज्योति की रक्षा होती है, नेत्र ज्योति में बढ़ोतरी होती है एवं आंखों की अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
- पैरो के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करने और स्नान से पूर्व पैर के अंगुठों को तेल से तर कर देने से आंखों के रोग नहीं होते हैं एवं नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है।
- आंखों की सुन्दरता एवं स्वस्थता के लिये अच्छी नींद भी आवश्यक है वरना अनिद्रा की अवस्था में आंखों के चारों और काली रेखायें पड़ जाती हैं और आंखों की ज्योति धीरे-धीरे मंद पड़ जाती है।
- आंखों पर अधिक दबाब मत पड़ने दें जैसे लगातार पढ़ने की स्थिति में बीच-बीच में विश्राम दें। अध्ययन के बीच बीच में कुछ देर पलकें बंद कर दें, इससे आंखों को विश्राम मिलता है।

(शेष पृष्ठ-35 पर)

भूमि कटाव को किसान स्वयं रोक सकते हैं

रामचन्द्र

वर्तमान समय में सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए अच्छी खाद बीज तथा तकनीकी कृषि यन्त्रों की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाओं में भू-संरक्षण पर काफी धन खर्च करने का प्रावधान है । यदि भूमि कटाव पर तत्परता से ध्यान न दिया गया तो कुछ ही समय में बहुत सी कृषि योग्य भूमि हमारे हाथों से निकल जायेगी ।

मिट्टी का स्थान प्रकृति द्वारा जल तथा वायु से बदलता रहता है । जब वर्षा होती है तो खेत की ऊपरी सतह बहकर चली जाती है तथा नीचे की कम उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाती है । इसी प्रकार जब हवा जोरों से चलती है तो वह मिट्टी व महीन रेत उड़ाकर अपने साथ ले जाकर दूसरी जगह जमा कर देती है । राजस्थान की तरफ से जो रेगिस्तान धीरे-धीरे बढ़ता आ रहा है, वह वायु का ही कारण है । कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि अच्छे उपजाऊ खेतों से रेत जमा होकर ऊपजाऊ शक्ति नष्ट कर देती है तथा नयी उगी फसले नष्ट हो जाती हैं । किसानो को चाहिए कि वह इन छोटे-मोटे भूमि कटाव को स्वयं रोकें तथा बडे भूखण्डों के कटाव को रोकने में सरकार को पूरा-पूरा सहयोग दें ।

वर्षा के कारण भूमि कटाव दो प्रकार से होता है । एक तो ऊपर से मिट्टी के तह के तह बह जाते हैं । दूसरे प्रकार से खेतों में छोटी-छोटी नालियां बनती तथा बाद में वही नाले का रुप धारण कर लेती हैं । पहले प्रकार के कटाव को अंग्रेजी में 'शीट' कटाव कहते है । तथा दूसरे को गली कटाव कहते हैं । कहीं-कहीं नदियों के किनारे गली कटाव ऐसे हो जाते हैं कि बड़े-बड़े खड्ड बन जाते हैं । ऐसे बड़े कटाव को सरकार ही रोक सकती है जैसा कि अभी हाल में ही सीतापुर जिले में सराय नदी किनारे बसे गांव कुशमौरा तथा गोविन्दपुर में कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए बांध बनाये जा रहे हैं । परन्तु छोटे-मोटे कटावों को किसान स्वयं रोक सकते हैं ।

यह मानी हुई बात है कि जहां वर्षा अधिक होगी वहां भूमि कटाव अधिक होगा । जो खेत ढालू है वहां वर्षा का पानी तेज बहेगा और कटाव भी अधिक होगा । कार्बनिक पदार्थ जिन खेतों में अधिक होंगे वहां कटाव कम होगा । हल्की भूमि में भी कटाव अधिक होगा ।

अंग्रेजी में कहावत है कि 'चिकित्सा से रोक उत्तम है ।' इसलिए चाहिए कटाव का शुरु में ही रोकथाम करें । पानी द्वारा भूमि कटाव को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है :—

पानी द्वारा भूमि कटाव रोकने के उपाय

(1) जिन खेतों में मिट्टी तह की तह कट रही हो उनमें ढाल से समकोण पारियां बनाना चाहिए । ऐसा करने से एक तो पानी जल्दी बह नहीं पायेगा बल्कि पारियां पानी सोख लेंगी और जो अधिक होगा वह रुकावट के बाद जिधर चाहें ऊधर निकाल सकते हैं । पानी धीरे-धीरे बहेगा जिससे पानी के साथ बहकर आये मिट्टी के कण पारियों में बैठ जायेंगे ।

(2) ऐसे खेतों में जिनमें भूमि कटाव होने की अधिक सम्भावना है उसमें अधिक जड़ों वाली या पत्ती वाली फसल बोना लाभदायक होगा । जैसे मक्का, अरहर की फसल में जड़ें अधिक होती हैं, कपास में कम । मक्के तथा अरहर के खेत में भूमि कटाव कम होगा । मूंगफली की फसल जल्दी उग आती है । इसकी जड़ें जमीन में फैलती हैं तथा ऊपरी भाग अधिक पत्तियों से

ढका रहता है । जिससे पानी की गिरने वाली तेज बूंदों का जोश मूंगफली के पत्तों पर ही बहुत अंश तक कम हो जाता है . जिससे भूमि कटाव नहीं होता ।

(3) यदि खेत में पारियां बनाने की सुविधा नहीं है, और यदि है भी तो श्रम तथा धन अधिक खर्च होता है तो खेत में मेड़ अधिक बना देनी चाहिए । मेड़ पर घास उगा देना चाहिए । इस क्रिया द्वारा खेत के छोटे-छोटे कई टुकड़े हो जायेंगे परन्तु भूमि कटाव कम होगा ।

(4) यदि खेत में पारियां बनाने या मेड़ बनाने में अधिक कठिनाई महसूस हो रही है तो फसल के बीच में दूसरी फसल की कतारें बो देनी चाहिए जिससे भूमि का कटाव कम होगा । जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर आदि खड़ी ऊपर जाने वाली फसलों में मूंग, मूंगफली, उरद, मोथी आदि नीचे फैलने वाली फसलें बोनी चाहिए ।

(5) यदि खेतों में ढाल अधिक है जैसा कि पहाड़ी स्थानों पर होता है तो वहां सीढ़ीदार खेती की विधि अपनाना चाहिए ।

(6) जब खेतों में छापरे पड़ते दिखें तो उसी समय उनको रोकने की युक्ति अपनानी चाहिए नहीं तो कुछ दिनों में वे नाले का रुप धारण कर लेते हैं । फिर बाद में सुधारना कठिन हो जाता है ।

इस प्रकार के कटाव को रोकने के लिए दो विधियां अपनायी जा सकती हैं । एक तो यह कि जहां से अपने खेतों में पानी आता है, वहां बांध बांधकर नाली द्वारा पानी एक ओर निकाल दिया जाय । दूसरी विधि वह होगी कि जहां अपने खेत से पानी निकलता हो वहां कुछ घास-पात, पौधों की छोटी-मोटी टहनियां नाली में भर कर ऊपर पत्थर डाल दिये जायं । पत्थर से वह टहनियां दब जायेंगी और पानी का बहाव रुकेगा । अपधाव का पानी पत्थरों के ऊपर होकर बहेगा तो उसमें की बहुत सी मिट्टी नीचे जम जायेगी ।

हवा द्वारा भूमि कटाव रोकने के उपाय

(1) हवा (आंधी) द्वारा बहुधा कटाव तह के रुप में होते है । तह के तह उड़ते तथा दूसरे स्थान पर जाकर यह तह टीले के रुप में जम जाते हैं । ऐसी क्रिया को रोकने के लिए पेड़ अधिक लगाने चाहिए । इसी कारण बीस सूत्री कार्यक्रम में अधिक पेड़ लगाने पर सरकार ने सर्वाधिक जोर दिया है ।

(2) अगर हो सके तो छोटे-छोटे खेतों के आस-पास तीन या चार फुट ऊंची मिट्टी की दीवारें बना देनी चाहिए इससे हवा तो कुछ अंश तक रुकेगी तथा दीवार घेरे का भी काम देगी ।

भू-कटाव पानी से हो या आंधी से उसे रोकने के लिए प्रकृति ने भी कुछ पौधों को जन्म दिया है जो भूमि कटाव को रोकते हैं । ऐसे पौधे समुद्र और नदी के किनारों पर भूमि की रक्षा के लिए स्वयं उग आते हैं । उनकी रक्षा करनी चाहिए । उन्हें कटने नहीं देना चाहिए । ☐

सी 1449/7 इन्दिरा नगर
लखनऊ

(पृष्ठ 33 का शेषांश)

- यात्रा के दौरान यदि आप तनिक भी पढ़ने में असुविधा महसूस करें तो किसी भी प्रकार की पत्र पत्रिकायें नहीं पढ़ें ।
- अध्ययन के दौरान प्रकाश न तो बहुत तेज ही हो न ही हल्का हो ।
- आंखों को धूप, धुएं एवं धूल से बचाना चाहिये । धूप और धूल से बचाने के लिए रंगीन चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिये ।
- आंखों को कभी भी रगड़िये नहीं यदि उसमें कुछ गिर गया हो तो किसी साफ कांच के बर्तन में पानी भरकर आंख उसमें डूबोयें, कचरा निकल जायगा ।
- आंखों में चिकनाई रहना आवश्यक है अतः सप्ताह में किसी अच्छे सुरमें का प्रयोग करना चाहिये अथवा शुद्ध शहद उपलब्ध हो तो एक सलाई सप्ताह में एक बार डालने से दृष्टि कमी मंद न होगी ।
- आंखों को कभी भी गंदे पानी से नहीं धोना चाहिये, न ही किसी रोगी आंखों के तौलिये आदि का प्रयोग करना चाहिये ।
- अधिक धुम्रपान करने से भी आंखों को नुकसान पहुंचता है ।
- खाद्य सामग्री में जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है उनका अधिकाधिक सेवन करना चाहिये । गाजर के मौसम में प्रतिदिन गाजर का सेवन करना चाहिये ।

इस प्रकार आप थोड़ी सी सावधानी रखकर शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग को स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकते है ।

44, बंदा मार्ग,
भवानी मण्डी, (राजस्थान)

सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जाण

रणछोड त्रिपाठी

वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में वर्तमान में जो आन्दोलन चलाये जा रहे हैं एवं जो विचारधारा है वह मात्र वर्तमान परिस्थितियों के कारण नहीं है। आज से हजारों वर्ष पूर्व से ही वनों के संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा के बारे में ध्यान दिया जाता रहा है। आज विकास की दौड़ में भले ही इस ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, सरकारी तन्त्र भी इस दिशा में सचेत है किन्तु आज से 5 हजार वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी की सभ्यता की एक मुद्रा पर अंकित चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय में भी लोग वन संरक्षण के प्रति जागरुक थे। वैदिक युग से आज तक ऋषि मुनियों के आश्रमों के निकट के क्षेत्रों में वन्य जीवों व वृक्षों का विनाश नहीं होने दिया जाता था। इस संबंध में कश्मीर घाटी में एक कहावत प्रचलित है—"अन्न पोशी तेले, येलि पोशी बन्द" अर्थात अन्न तब तक ही रेहगा जब तक की वन मौजूद हैं।

ईस्वी सन् के लगभग 300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने राज्य में वन्य जीवों व वृक्षों की सुरक्षा के लिये कड़े नियम बनाने के साथ ही सड़कों के दोनों और प्रचुर मात्रा में वृक्ष लगवाये थे।

आज से 255 वर्ष पूर्व 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ी ग्राम में वन संरक्षण की यह एक धार्मिक भावना से जुड़ी हुई घटना घटी। इसने वन संरक्षण आन्दोलन का रुप धारण कर लिया।

घटना के अनुसार तत्कालीन जोधपुर महाराजा को अपना महल बनवाने के लिए चूना पकवाना था और इसके लिये लकड़ियों की आवश्यकता थी। महाराजा ने अपने मुलाजिमों को लकड़ियां लाने के लिये इधर-उधर भेजा। कुछ व्यक्ति लकड़ियों की खोज में खेजड़ी ग्राम में पहुंचे जहां अनेकों हरे भरे वृक्ष थे। यों तो रेगिस्तान में हरे वृक्ष मिलना ही बड़ी बात थी–राजा के मुलाजिमों ने हरे वृक्षों को काटना प्रारम्भ कर दिया। यह देख पास ही के घर से एक महिला आई और उन्हें इन वृक्षों को काटने से रोक दिया और कहने लगी इन वृक्षों को हमने पाल पोसकर बड़ा किया है। हमारे धर्म में भी हरे वृक्ष काटना पाप है। किन्तु राजा के कारिन्दों ने उस महिला की बात अनसुनी कर दी। वे अपने कार्य में लग गये। किन्तु उक्त महिला अमृता देवी इस अधर्म को सहन न कर पाई। वह उस वृक्ष से लिपट गई जिसे काटा जा रहा था और उसने कहा "सिर साटे रुंख रहे तो भी सस्तो जाण" अर्थात् सर कटाने से भी यदि वृक्ष बचाया जा सके तो भी सस्ता है।"

राजा के कर्मचारियों ने उस वृक्ष से लिपटी औरत पर कुलहाड़ियों का प्रहार कर उसे मार डाला। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। मां को मरते देख उसकी तीनों बेटियों ने भी उस वृक्ष से लिपटकर अपने प्राणों की आहूति दे दी। किन्तु वृक्ष को नहीं कटने दिया। यह क्रम निरन्तर चलता रहा और एक ही स्थान पर उस वृक्ष की रक्षार्थ गांव के 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों का होम कर डाला। इस घटना की जानकारी महाराजा को मिलते ही उन्होंने तत्काल हरे वृक्षों की कटाई पर पाबन्दी लगा दी। इस बलिदान की याद में आज भी उस स्थान पर खेजड़ी ग्राम में एक मेला 'शहीद मेले' के नाम से लगाया जाता है।

इस आन्दोलन में शहीद हुए सभी स्त्री पुरुष विश्नोई सम्प्रदाय के थे। इस सम्प्रदाय को वन संरक्षण की प्रेरणा देने का श्रेय पन्द्रहवीं शताब्दी में इस पक्ष के प्रवर्तक जंभोजी महाराज को जाता है। जंभोजी वस्तुत: एक गोपालक किसान था। एक बार अकाल से त्रस्त होकर अन्य किसान गांव छोड़कर चले गये किन्तु जंभोजी नहीं गये वह वहीं चिन्तन में लग गये। जंभोजी ने अपने विश्नोई पथ के 29 नियम बनाये उनमें से दो प्रमुख हैं। वन्य जीवों की

रक्षा और वृक्षों की रक्षा। विश्नोई सम्प्रदाय को मानने वाले आज भी पूरी निष्ठा से इन नियमों को मानते हैं तथा जोधपुर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में विश्नोई लोगों के घरों में खेजड़ी का वृक्ष व उनके बाड़ों में गाय भैंस के साथ ही हिरणों को पालतू पशुओं के रुप में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र को सरकार ने हिरणों का अभ्यारण घोषित कर दिया है। आज भी यह लोग हिरण के शिकार के विरुद्ध हैं। आज भी विश्व में वृक्षों की रक्षार्थ किया गया यह सबसे बड़ा बलिदान एक अद्वितीय मिसाल है।

आज के युग में सरकार वन्य जीव संरक्षण व वृक्षों की कटाई रोकने के लिये प्रयत्नशील है। देश में कई वन्य जीव अभ्यारण बनाये गये हैं। कई वनों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चल रहा है।

जन सम्पर्क कार्यालय,
भीलवाड़ा (राज.)

भगवान ई सरकार को भलो कर ज्यो

श्याम सुन्दर जोशी

"आज गांवा-गांवा में अकाल का काम न चालता तो लोग भूखाई मर जाता। सरकार म्हां गरीबां के लिए तो घणो आच्छयो काम की दो।"

ये हृदयोदगार हैं चालीस वर्षीया 'नजरी' के। नजरी, जो न केवल विकलांग है बल्कि पिछले कई वर्षों से विधवा का जीवन व्यतीत करते हुए अपने एक पांव से जिन्दगी की गाड़ी खेंच रही है। चार छोटे बच्चों सहित पांच सदस्यों का यह परिवार नजरी की मजदूरी पर ही पल रहा है।

भीलवाड़ा जिले के गुरलां ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत सिंचाई विभाग द्वारा चलाये जा रहे सहायता कार्यों में गुरलां तालाब की खुदाई कर मिट्टी की दीवार से पाल को मजबूत करने के ढ़ाई लाख रुपये के इस कार्य पर लगे हुए गुरलां एवं आस पास के गांवों के 160 स्त्री पुरुष श्रमिकों में से ही एक है नजरी।

नजरी के साथ पिछले तीन माह से इस तालाब पर मिट्टी ढोने का काम कर रही धापू एवं केसर से जब उन के यहां चलाये जा रहे सहायता कार्यों के संबंध में पूछा गया तो अपने सर से मिट्टी की तगारी डालते हुए वे कहती हैं:—

"तालाब की पाल वणवांऊ गांव को भी भलो होइ अर म्हां को भी भलो होर्‌यो। ई साल खेती में धान न उपज्यो ई वास्ते मजदूरी का गेहूं मिलबासूं ही छोरा-छापरां को पेट भर रह्या हां। म्हां की तो या ही मन्सा है कि राज और बत्ता काम चलाव"।

35 वर्षीय मांगू रेगर पिछले ढाई माह से इसी तालाब पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहा है। मांगू से यह पूछने पर कि सहायता कार्यों से उसे क्या लाभ हुआ है। कहता है "सरकार काम न चलाती तो मर जाता होकम" न तो खाबा न धान हो, न पीबा न पाणी। कूंडा को पाणी सूख ग्यो। सरकार ये हैण्डपंप लगाया जीसूं तस बुजार्‌या हां। गाय ढांढा के लिए भी सरकार सस्तो घास-खाखलो देर भलाई को काम कर री है"।

सुवाणा पंचायत समिति के गुरलां ग्राम में चलाये जा रहे सहायता कार्यों के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं पंचायतों के माध्यम से सड़क निर्माण, एनीकट निर्माण, खुरा निर्माण एवं स्कूल भवन के निर्माण कार्यों पर नजरी, धापू, केसर, मांगू जैसे कई अभावग्रस्त लोग मजदूरी करके रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं। ☐

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी
भीलवाड़ा-311001 (राज.)

गांवों में गरीबी के विरुद्ध संघर्ष

सुभाषचन्द्र 'सत्य'

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं ने ग्रामों के उत्थान का जो नारा दिया था, उसके अनुरूप आजादी के पश्चात् सरकार ने गांवों के विकास की दिशा में काफी प्रयास किये। एक के बाद एक सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिये राशि में वृद्धि होती रही। कृषि की आधुनिक पद्धति लागू करने से लेकर भूमि सुधार को अमल में लाने तथा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जरिये किसानों और खेतिहर मजदूरों की आय बढ़ाने से लेकर कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित करने तक विविध प्रयास किये गये। सातवीं योजना में तो गरीबी, विशेषकर गांवों में गरीबी दूर करने पर सबसे अधिक बल दिया गया है। ग्रामीण विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही 1979 में केन्द्र में अलग से ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय बनाया गया। बादमें इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। कृषि और ग्रामीण विकास के परस्पर सम्बद्ध होने के कारण अब कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिये एक ही मंत्रालय बना दिया गया है। गरीबी दूर करने के उद्देश्य से गांवों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने के लिये भी अनेक कार्यक्रम केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से चलाये गये।

20—सूत्री कार्यक्रम और सातवीं योजना

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 7 जुलाई 1975 को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर बीस-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। लगभग 7 वर्ष बाद 14 जनवरी 1982 को इसे संशोधित किया गया, जिसमें उन सूत्रों को छोड़ दिया गया जिनमें लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे तथा कुछ नये सूत्र इसमें जोड़े गये। इस कार्यक्रम में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था करने तथा बारानी खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। इसके अलावा तिलहन और दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया गया। वास्तव में इस कार्यक्रम को गांवों में गरीबी दूर करने तथा खुशहाली लाने का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। इसके अधिकतर सूत्रों का संबंध ग्रामीण विकास से था। इनमें भूमि सुधारों को कड़ाई से लागू करना, कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन तय करना, फालतू भूमि का भूमिहीन लोगों में वितरण, बंधुआ मजदूरी समाप्त करना तथा मुक्त किये गये मजदूरों का पुनर्वास पानी की कमी वाले गांवों में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई गांवों में बिजली पहुंचाना गांव वालों की कठिनाइयां कम करने के लिये बायो गैस तथा ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधनों का विकास, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना आदि उल्लेखनीय हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में इन्हीं सूत्रों की प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त धन राशि रखी गयी। राज्यों में इस विषय में होड़ रही कि ग्रामीण जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक इस कार्यक्रम को लागू करने में कौन आगे रहता है। सातवीं योजना की रचना भी इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुरूप की गयी तथा गरीबी दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। 9 नवम्बर, 1985 को राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा—"सातवीं योजना का मूल लक्ष्य गरीबी के खिलाफ पूरी शक्ति और संकल्प के साथ संघर्ष छेड़ना है।" उन्होंने आगे कहा कि विकास की कोई भी प्रक्रिया तब तक सार्थक नहीं बन सकती जब तक उससे गरीबी का बोझ कम नहीं होता।

सातवीं योजना में स्पष्ट कहा गया है कि गरीबी दूर करने के प्रयास मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में किये जायेंगे, क्योंकि गरीबी का प्रकोप सबसे अधिक गांवों में ही है। इसमें इस बात पर विशेष वल दिया गया है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार करके तथा उसे आधुनिक और गतिशील बनाकर ही गांवों में गरीबी दूर की जा सकती है। छठी योजना के अंत में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 40 था, जिसे 1990 तक कम करके 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। 1984-85 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 27 करोड़ तीस लाख थी, जब कि सातवीं योजना के अंतिम वर्ष तक यह संख्या 21 करोड़ दस लाख रह जाने का अनुमान है। योजना में विकास की जो पद्धति अपनायी गयी है, उसका समग्र उद्देश्य गरीबी दूर करना है। **भारत सरकार ने प्राथमिकताओं को सामने रखकर 20 अगस्त 1986 को बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986 की घोषणा की। इसमें भी गरीबी दूर करना ही मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में ही गरीबी के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का ऐलान किया गया है। प्रस्तावना का आलेख इस प्रकार है।**

"हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देंगे। पिछले पांच वर्षों में 10 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है।

गरीबी का उन्मूलन और रोज़गार के और ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

20-सूत्री कार्यक्रम निर्धनता खत्म करने की योजना है। इस कार्यक्रम को अपने अनुभव, उपलब्धियों और सातवीं योजना के लक्ष्यों की बुनियाद पर नया रुप दिया गया है। नया कार्यक्रम हमारी निम्न प्रतिबद्धताओं को दोहराता है :

—निर्धनता का उन्मूलन,
—कृषि उत्पादन बढ़ाना,
—उत्पादकता बढ़ाना,
—आय की विषमताओं को घटाना और सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करना और
—जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि लाना।"

गांवों में गरीबी दूर करने के प्रति सरकार की चिंता इसी तथ्य से प्रकट होती है कि 20-सूत्री कार्यक्रम 1986 के पहले सूत्र का नाम है-"गरीबी के खिलाफ संघर्ष", जिसमें सबसे पहले गांवों में गरीबी दूर करने के कार्यक्रम चलाने का संकल्प प्रकट किया गया है। इसके अलावा नये कार्यक्रम में आधे से अधिक सूत्र ऐसे हैं, जिनसे गांव वालों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति सुधारने तथा ग्रामीण इलाकों में समृद्धि लाने में मदद मिलेगी। इनमें कृषि सुधार और पीने के पानी की सप्लाई से लेकर जनसंख्या नियंत्रण तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। नये बीस-सूत्री कार्यक्रम की विशेषता यह है कि सातवीं योजना तथा इसकी प्राथमिकताएं लगभग समान हैं, जिससे इन सभी सूत्रों को व्यावहारिक रुप देने में सुविधा रहेगी तथा लक्ष्य और उपलब्धियों में तालमेल रहेगा। साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी भी होती रहेगी। बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के पहले सूत्र का संकल्प इस प्रकार है–

"हम :

* ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हर गांव में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ हर गरीव को मिल सके,
* उनके साथ मज़दूरी दिलाने वाले रोज़गार कार्यक्रमों को क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों से जोड़ेंगे जिससे राष्ट्रीय और सामुदायिक परिसंपत्ति में वृद्धि हो। उदाहरण के लिये स्कूलों के भवन, सड़कें, तालाव, इंधन और चारे के सुरक्षित भंडार बनायेंगे,
* ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को निम्न वातों से जोड़ेंगे :
  — उत्पादकता में सुधार
  —उत्पादन में बढ़ोतरी
  —ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार का विस्तार
  —असमानताओं में कमी
* ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन, हथकरघा, दस्तकारी, गांव और लघु उद्योगों और स्व-रोजगार संबंधी कार्यों को उन्नत बनायेंगे, और
* पंचायतों, सहकारी समितियों और स्थानीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करेंगे।"

रोजगार जुटाने के कार्यक्रम

गांवों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के बाद जिस अन्य तरीके से गरीबी कम की जा सकती है, वह है रोजगार जुटाना। इसलिये सातवीं योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि को बुनियादी प्राथमिकता के रुप में स्वीकार किया गया है। उद्योग व्यापार, वित्त, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में नीतियां और कार्यक्रम इसी बुनियादी प्राथमिकता के अनुरुप निर्धारित किये गये हैं। सातवीं योजना में तो यहां तक कहा गया है कि इस अवधि में जितने लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी, उससे कहीं

अधिक रोज़गार के अवसरों की व्यवस्था की जायेगी । योजना अवधि में चार करोड़ लोगों के लिये रोजगार जुटाया जायेगा जब कि रोजगार की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या तीन करोड़ 90 लाख रहेगी । गांवों में रोज़गार जुटाने के लिये इस समय कई कार्यक्रम चल रहे हैं । इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रमुख हैं । सातवीं योजना की अवधि में इन दोनों कार्यक्रमों से दो अरब 90 करोड़ कार्य दिवसों की व्यवस्था होने का अनुमान है । इसके अलावा काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरु किया गया था, जिससे रोजगार की व्यवस्था के साथ-साथ गांवों में सड़कें, तालाब, पुल, स्कूल आदि स्थायी संपत्तियों के निर्माण में सहायता मिली । सातवीं योजना में एक नयी कल्पना यह की गयी है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ग्रामीण विकास तथा गरीबी दूर करने के अन्य कार्यक्रमों से जोड़ दिया जायेगा । इससे लोगों की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक तथा बौद्धिक उत्थान हो सकेगा । इनमें प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था, पोषाहार, पेयजल की सप्लाई, आवास, विधुतीकरण, सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधायें शामिल हैं ।

गरीबी के कारण

प्रसिद्ध विद्वान मोहित सेन के अनुसार "हमारी स्थिति और पूरे राष्ट्रीय अस्तित्व की सबसे बुरी स्थिति गांवों में है ।" बीस सूत्री कार्यक्रम और सातवीं योजना के लक्ष्यों को पूर्ण कर लेने पर भी हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 21 करोड़ से अधिक होगी । प्रश्न यह है कि आजादी के लगभग 40 वर्ष बाद भी हमारे गावों में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन पाई कि गांव का युवक वहीं रहकर अपना भविष्य संवारना हितकर माने और शहरों की ओर न भागे । सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारा पूरा सोच ही नगरोन्मुखी है । यद्यपि नीतियां ग्रामीणोन्मुखी बनती हैं किंतु उनका क्रियान्वयन नगरोन्मुखी रहता है । अभी तक गांवों में गरीबी दूर करने के जो प्रयास किये गये हैं, वे सतही ही रहे हैं तथा मूलभूत ढांचा वही का वही है । यह ढांचा शोषण पर आधारित है, जिसका परिणाम यह होता है कि गरीब गरीब ही रहता है, तथा अमीर और अमीर तथा शक्तिशाली बन जाता है । इसके अलावा भूमि सुधारों तथा हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े और संपन्न किसानों को मिला है तथा छोटे किसान, भूमिहीन लोग तथा खेतिहर मजदूरों की माली हालत में खास अंतर नहीं आया । नयी टैक्नोलोजी का लाभ भी यही उच्च वर्ग उठा रहा है । जाति-व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तथाकथित छोटी जातियों के लोगों को गरीबी का दायरा लांघने में पग-पग बाधायें झेलनी पड़ती हैं । हमारे प्रशासनिक तंत्र का दृष्टिकोण भी गांवों में गरीबी दूर करने में बाधक रहा है । शहरी वातावरण के पले-पढ़े हमारे अधिकारी और कर्मचारी बुनियादी तौर पर गांवों को छोटा तथा हेय मानते हैं जिससे वे पूरी रुचि लेकर उनके उत्थान में योग नहीं देते । गांव में रहकर काम करने को कोई तैयार नहीं है । उदाहरण के लिये सरकार ने डाक्टरों के लिये कुछ वर्ष गांव में सेवा करना अनिवार्य कर दिया है किंतु अब भी गांवों के चिकित्सालयों में अच्छे डाक्टरों का अभाव है । केवल कुछ कर्मचारियों को, वह भी उनकी इच्छाओं के विपरीत गांवों में नियुक्त कर दिया जाता है ।

गांवों में गरीबी की जड़ें जमी रहने का एक और प्रमुख कारण यह है कि वहां का मजदूर असंगठित है । गरीबों और भूमिहीनों में न तो चेतना है और न संगठन । उसका शहरी मजदूर यूनियनों तथा मजदूर नेताओं से कोई संबंध नहीं बन पाया है और न ही मजदूर नेताओं ने अपने नगरोंन्मुखी दृष्टिकोण से ऊपर उठकर गांव के मजदूरों तथा छोटे किसानों को जोड़ने की चेष्टा की है । क़ाश्तकारों और मजदूरों में संगठन और चेतना की आवश्यकता को पहचान कर बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था–

"जिस दिन जमीन जोतने वाले अपनी ताकत को पहचान लेंगे, जमींदारी की कुप्रथा समाप्त हो जायेगी । जमींदार उस समय क्या कर सकेगा जब काश्तकार उठकर कह देंगे कि जब तक हमें खाने पहनने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिये पर्याप्त मजूरी नहीं मिलेगी हम इस जमीन को हाथ नहीं लगायेंगे । दर असल उत्पादन पर मेहनतकश का पूरा हक है । यदि मेहनतकश लोग सूझबूझ के साथ एक हो जायें तो वे अजेय शक्ति बन सकते हैं ।" इसके अलावा जन संख्या में वृद्धि तथा अशिक्षा भी गरीबी की जंजीरें तोड़ने का साहस जुटाने में आड़े आती है ।

अन्य उपाय

सरकार ने प्रशासनिक व आर्थिक स्तर पर जो कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, उन से निश्चय ही गरीबी दूर होगी और गांवों में समृद्धि आयेगी । किन्तु केवल सरकार पर निर्भर रह कर इतनी बड़ी समस्या हल नहीं हो सकती । सरकारी और प्रशासनिक उपायों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता परंतु इससे हमें लक्ष्य पाने में कई सौ साल लग सकते हैं । क्या हम इस स्थिति में हैं कि इतने लंबे समय तक देश के सबसे बड़े अभिशाप गरीबी को ढोते रहें ? नहीं, हमें निश्चित रुप से इस कलंक को जल्दी से जल्दी धो देना होगा । इसके लिये आवश्यक है कि उन परिस्थितियों को

बदला जाये जो गरीबी को अस्तित्व में लाने तथा उसकी जड़ें जमाने के लिये जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे पहले तो शहरी-ग्रामीण की खाई दूर करनी होगी। यह तभी होगा जब गांवों के प्रति आम लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जायेगा। इसके लिये सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रचार माध्यमों को भी लोगों में चेतना लाने के प्रयास करने होंगे। दूसरा उपाय है—गांवों में संपत्ति के बंटवारे में व्याप्त असंतुलन को कम करना। डाक्टर कमल नयन काबरा लिखते हैं–"बड़े और संपन्न किसानों के हाथों में विकास प्रक्रिया के केंद्रित हो जाने के कारण असमानता आई है तथा अनाज के मूल्य में वृद्धि का लाभ बहुत छोटे वर्ग तक हीं सीमित रह गया है। इस अंतर को कम किये बिना गरीबी दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू करना भी आवश्यक है। रोजगार जुटाने के प्रयासों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण हो। बढ़ती हुई आबादी भी विकास के लाभों को हड़प रही है। अत: गांवों में परिवार नियोजन अभियान को और कारगर ढंग से चलाया जाना चाहिये। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि शिक्षा, चेतना और संगठन के अभाव में उपेक्षित वर्ग अपने अधिकारों तथा उचित हक को हासिल करने में असफल रहते हैं अत: शिक्षा के प्रसार पर और ध्यान देना होगा। नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की स्थापना से इस दिशा में प्रगति संभव है। गांवों में सरकारी पूंजी के अलावा गैर सरकारी पूंजी निवेश को भी बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिये। अभी तक बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों ने ग्राम विकास में कोई योग नहीं दिया। उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। हरित क्रांति अभी तक केवल उत्तर भारत तक सीमित है इसे देश के अन्य भागों में भी ले जाया जाये।

बीस सूत्री कार्यक्रम तथा सातवीं योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के साथ-साथ इन सभी उपायों को भी क्रियान्वित करने पर ध्यान दिया जाये तो निश्चय ही गांवों में गरीबी दूर होने की गति में तेजी आयेगी और ग्रामीण लोग पेट पालने के लिये शहरों की ओर भागने को विवश नहीं होंगे। वे अपने घर में रहकर अपना तथा गांव का उत्थान करेंगे और भारत के गांव अपनी प्रगति के लिये शहरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं अपना उत्थान करने में सक्षम हो जायेंगे। भारत के ग्रामवासियों की जिजिविषा और संघर्ष करने की शक्ति अदम्य और असीम है अत: वे जल्दी ही गरीबी के अभिशाप से मुक्त होने का सपना साकार कर लेंगे। □

सी-7/134 ए, केशवपुरम
(लारेंसरोड) दिल्ली-110035

तू अपना शोषण रोक गांव

तू अपना शोषण रोक गांव।
अपने स्रोतों को खोज-खोज
नूतन वैभव गढ़ रोज-रोज
मत शहरों की अवलोक छांव।
तू अपना शोषण रोक गांव॥
स्वछन्द हो तुम आकाश बनो
खुद अपना चरम विकास बनो
मत भाग नगर को छोड़ ठांव।
तू अपना शोषण रोक गांव॥
निज साधन का विस्तार करो
तुम खुद अपना व्यापार करो
गर जीत सके तो जीत दांव।
तू अपना शोषण रोक गांव॥
आकर लालच की बातों में
बिक मत शहरों के हाथों में
मत मार कुल्हाड़ी बचा पांव।
तू अपना शोषण रोक गांव॥

अलकेश त्यागी
द्वारा 6/331 आर.के.पुरम
नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में

कृषि उपज का विपणन एवं भंडारण

हरि विश्नोई

भारत में ब्रिटिश राज के दौरान गहनमंदी के समय दो किसान साथ-साथ गुड़ गाड़ी में भर कर मंडी में बेचने चले। जो पहले पहुँचा वो तो दो रुपये पा गया और बाद वाले का गुड़ किसी ने मुफ्त में भी नहीं उतरवाया। अनाज विपणन की दशा भी बेहतर नहीं थी।

इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के समय दो पैसे सेर बिकने वाला नमक लोगों को 16 रु. प्रति किलो पर भी खुले बाजार में नहीं मिल सका। यह थी विपणन की दुर्व्यवस्था। लेकिन आजादी के बाद से सुधार की जो शृंखला शुरू हुई वह आज तक जारी है।......

अपने खून पसीने की कमाई को उठाकर किसान जब मंडी में पहुँचता है तो उसे अपनी उपज का सही मोल मिल जाए, अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच का समीकरण बहुत जटिल समझा जाता है। कृषि उपज के विपणन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने पर ही इस बात की कल्पना की जा सकती है कि अपनी मेहनत से धरती में सोना उगाने वालों का हित सुरक्षित रहेगा।

आजादी मिलने के बाद से इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया है। क्योंकि कृषि विपणन अब व्यापारियों के हाथों की कठपुतली नहीं रहा। कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के क्षेत्र में नियोजित कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन से जहां एक ओर मंडियों का विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर कृषि उपज का उचित मूल्य भी किसानों को मिलने लगा है। केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों ने विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

इस वर्ष कृषि विपणन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश को देश भर में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा गहन समीक्षा करने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने गत 15 जनवरी 1986 **को उ.प्र. के कृषि मंत्री को इस उपलब्धि के लिए एक वैजयंती प्रदान की जो बाद में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को सौंप दी गयी। यह पुरस्कार उन तमाम प्रयत्नों का प्रतीक है जो पिछले बारह वर्षों में प्रदेश की मंडी परिषद द्वारा प्रगति और सुधार की दिशा में किए गए हैं।**

उ.प्र. सरकार ने प्रयोग के रूप में एक योजना का शुभारम्भ किया था। जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि यदि किसान को बाजार में उसकी उपज के दाम कम मिल रहे हैं तो वह अपना उत्पाद समिति के गोदाम में रखकर उसके मूल्य का 75 प्रतिशत अग्रिम ऋण के रूप में ले सकता है। बाद में तीन महीने में कभी भी अच्छा बाजार भाव देखकर अपनी उपज को बेच सकता है। यह योजना लाभकारी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई। अतः इसकी सफलता को देखते हुए इसे और विस्तृत बनाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य को पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी के साथ किया गया है। साथ ही साँथ मंडियों के संबंध में एक अन्य बड़ी योजना वर्ष 86-87 के

अन्त तक तैयार हो जाएगी। जिससे किसान मजबूरी में अपनी उपज सस्ते दामों में बेचकर हानि उठाने से बच सकेंगे।

नए मंडी स्थलों पर कृषकों को बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाओं एवं उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन दुकानों का संचालन मंडियों द्वारा ही किया जाएगा।

मंडी विकास के नए आयाम

राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को ही मंडियों के विकास में प्रथम स्थान क्यों मिला? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए यदि गहराई में उतरा जाए, तो निश्चय ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते। जैसे कि उदाहरण के लिए 1982-83 तक केवल 51 नए मंडीस्थल ही प्रदेश में थे जो अब 163 से भी अधिक हो गए हैं। वर्ष 84-85 में गत वर्ष की अपेक्षा मंडियों की आय में साढ़े चार करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। जिसमें मंडी एवं लाइसेंस शुल्क तथा भवन एवं गोदामों का किराया शामिल था।

सहकारी क्षेत्र में नए आयाम

उत्तर प्रदेश में 254 सहकारी क्रय-विक्रय समितियां हैं जो कृषि उपज के क्रय-विक्रय के अतिरिक्त उर्वरक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य भी करती हैं। वर्ष 85-86 में इन समितियों द्वारा 3819.50 लाख रु. के व्यवसाय का लक्ष्य रखा गया था। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषि उपज की खरीद का कार्य उ.प्र. सहकारी संघ के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1986 में 2,69,970 टन गेहूं खरीद कर उ.प्र. सहकारी संघ का प्रथम स्थान रहा है। द्वितीय स्थान पर राज्य सरकार तथा उ.प्र. राज्य कृषि उद्योग निगम का तीसरा स्थान रहा।

आलू उत्पादन में वृद्धि करने तथा विक्रय की व्यवस्था करने के लिए फर्रुखाबाद में उ.प्र. आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ का गठन किया गया है। इस क्षेत्र में उ.प्र. का 55 प्रतिशत से भी अधिक आलू पैदा किया जाता है। गतवर्ष इस संघ द्वारा 700 मी. टन आलू की खरीद की गयी थी। साथ ही साथ 200 मी. टन उन्नत बीज भी कृषकों को सुलभ कराया गया था।

पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों के संग्रहण एवं विपणन व्यवस्था में सहयोग हेतु पांच जनपदों में जिला भेषज संघ तथा फल एवं शाक सब्जी के विपणन हेतु बारह सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

हल्द्वानी जिला नैनीताल में एक अन्य शीर्ष संस्था उ.प्र. सेब एवं फल संघ कार्य कर रही है। जिसने सेब विपणन के क्षेत्र में उत्पादकों के हितों की रक्षा की है तथा उन्हें उचित मूल्य दिलाने में सहायता की है। पहाड़ी क्षेत्रों में सोयाबीन भी नकदी फसल मानी जाती है। अत: 71 सोयाबीन उत्पादक सहकारी समितियां गठित कर ली गयी हैं। जिनके माध्यम से नैफेड की ओर से उ.प्र. सहकारी संघ द्वारा दिसम्बर 1985 तक 3.786 क्विंटल सोयाबीन की खरीद की गयी।

भंडारण सुविधाएं

विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिनके नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा देख-रेख हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन की तकनीकी इकाई खोली गयी है। सहकारी समितियों को ग्राम्य विकास के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने, तथा कृषकों की कृषि उत्पादन विपणन एवं उपयोग सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्धारित लागत एवं समय के अन्दर प्रदेश में 3568 गोदाम बनाए गए जिनमें से 18 विपणन गोदाम उ.प्र. सहकारी संघ ने बनवाए। इसी भांति शीतगृह परियोजना में भी तेजी से कार्य चल रहा है। 49 स्वीकृत शीतगृहों में 20 बन चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं जो 31 मार्च 1987 तक पूरे हो जाएंगे। जो समितियां शेष रह गयी थीं उनके लिए तृतीय योजना में 1597 गोदामों का लक्ष्य रखा गया है। इसी में उ.प्र. सहकारी संघ भी 46 विपणन गोदाम बनवाएगा। इनकी क्षमता एक हजार से दस हजार मी. टन होगी। इस योजना के पूर्ण होने पर सहकारी क्षेत्र में 3,09,600 मी. टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता की वृद्धि हो सकेगी। साथ ही समितियों के कार्य-व्यवसाय एवं सक्रिय सदस्यता में भी आशातीत वृद्धि हो सकेगी। नेशनल ग्रिड योजना के अन्तर्गत 200 मी. टन क्षमता के 50 गोदामों का निर्माण जून 1985 तक कराया गया। 11 सहकारी क्रय-विक्रय समितियों में 250 मी. टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य परियोजना को सौंपा गया था जिनमें से 6 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं। इंडो-ब्रिटिश एजुकेशनल प्रोजेक्ट के तहत 100 मी. टन क्षमता के कुल 76 गोदाम बनाए जाने थे। उनमें से 14 बन चुके हैं तथा शेष बन जाएंगे। इस प्रकार कृषकों की उपज के विपणन तथा भंडारण के लिए बड़ी तेजी के साथ प्रयास किए जा रहे हैं जो निश्चय ही स्वागत योग्य कहे जाएंगे तथा राष्ट्रीय विकास में कृषि एवं आर्थिक उत्थान को नयी गति देंगे। □

82/35, गुरु गोबिंद सिंह मार्ग
लालकुआँ, लखनऊ-19

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और क्रियान्वयन

रज्जू राय

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संबंध में पहले जानकारी होना आवश्यक है कि मजदूरी क्या है ? मजदूरी का सीधा सा अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपने श्रम चाहे वह मानसिक हो अथवा शारीरिक उसके बदले में जो आर्थिक लाभ मिलता है वह मजदूरी, मेहनताना अथवा उसका वेतन है।

मजदूरों के श्रम का साधनसम्पन्न लोग शोषण न कर सकें एवं मजदूरों को वाजिब मूल्य मिल सके, इसे बीस-सूत्री कार्यक्रम के पांचवे सूत्र में प्रमुख स्थान दिया गया है। म.प्र. शासन ने भी इस पर तेजी से अमल कराने के उद्देश्य से म.प्र. न्यूनतम मजदूरी अथवा वेतन अधिनियम 1981 के अंतर्गत 18 दिसम्बर 81 को एक कानून बनाया जिसमें श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण किया गया। यह नियम एक जनवरी 82 से सारे प्रदेश में एक साथ लागू किया गया। इस व्यवस्था में श्रमिकों के दैनिक काम, घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी की दरें तय की गई। उस समय दरें सात रुपये प्रतिदिन थी जो अब बढ़कर नौ रुपये पैंसठ पैसे रोजाना की दर से दी जा रही है। निर्धारित दर से यदि कोई व्यक्ति कम मजदूरी देता है तो उसके लिये नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करने के अपराध में सजा अथवा जुर्माना दोनों एक साथ किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

मजदूरी का नकद तथा अनाज के रुप में भुगतान

प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम वेतन (मजदूरी) अधिनियम लागू करते समय तो मजदूरी नकद रूप में देने का प्रावधान रखा गया। किन्तु म.प्र. क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है, इसमें अस्सी प्रतिशत से अधिक आबादी गांव में रहती है जो खेती अथवा खेती से जुड़े अन्य व्यवसायों पर आश्रित है। स्वामाविक है जब आबादी गांव में रहेगी तो मजदूरों को मजदूरी भी गांव में मिलेगी।

एक सर्वेक्षणानुसार प्रदेश भर में साठ लाख से भी अधिक खेतिहर मजदूर हैं जो गांव में ही खेती बाड़ी से सम्बन्धित मजदूरी कर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यहां व्यवहार में देखा गया कि म.प्र. के अधिकाशं ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत मजदूरी पूरी तौर से अथवा आंशिक तौर पर नकद न देते हुए अनाज के रुप में दी जाती है।

ऐसी स्थिति में इस बहुप्रचलित प्रथा को नजरन्दाज भी नहीं किया जा सकता और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए म.प्र. शासन ने निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की संस्थापना करते समय नकद मजदूरी के अतिरिक्त अनाज अथवा वस्तु के रूप में श्रम के बदले में दी जाने वाली मजदूरी का समावेश करने की सुविधा दी है, जिसके अनुसार नकद मूल्य वस्तु के रुप में अदा किया जा सकता है।

अनाज तथा वस्तु के रूप में कम दर मिलने की संभावना

नकद मजदूरी की दरें तो निर्धारित की जा सकती हैं पर कौन से अनाज अथवा वस्तु का क्या वास्तविक मूल्य है ? यह निर्धारण अलग-अलग क्षेत्रों में वास्तव में कठिन कार्य है और कभी-कभी इसी मजबूरी का सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाकर श्रमिकों की मजदूरी दरें कम अदा की जाती हैं। इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए राज्य शासन ने श्रमिक की नकद मजदूरी का मूल्य वस्तु के रुप में आंकने के लिए मौटे तौर पर कुछ नियम तय किये हैं। जिससे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित की गई मजदूरी की दर से ही मूल्य अदा हो सके। इसमें राज्य शासन ने म.प्र. भर के कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने जिले में अप्रैल तथा अक्टूबर के महीने में औसत किस्म की कृषि उपज, फसलों, खाद्यान्नों की दरें स्थानीय बाजारों से पता कर उसका औसत मूल्य निर्धारित करें और जो मूल्य फिर कलेक्टर द्वारा निर्धारित किये जाते हैं उसी के अनुसार श्रमिकों को अनाज के रुप में मजदूरी दी जाती है।

मजदूरी/वेतन के भुगतान का समय व कार्यकाल

वेतन अथवा मजदूरी का भुगतान नियोक्ता को सप्ताह में एक बार उस क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार हाट के एक दिन पूर्व किये जाने का नियम है। इसी तरह मजदूर को सेवा मुक्त यदि किया जाता है तो उसके वेतन/मजदूरी का भुगतान नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्ति के दूसरे दिन कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह राज्य शासन ने मजदूर से सामान्यत: एक दिवस में प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति से नौ घंटे काम लेने का नियम बनाया है किन्तु इसी अवधि के दरम्यान एक घंटे का विश्राम-अवकाश देना आवश्यक है। किन्तु देखा गया है कि कभी-

कभी काम कम अधिक होने से मजदूर से अतिरिक्त कार्य भी कराया जाता है, ऐसी स्थिति में राज्य शासन ने यह नियम बनाया है कि प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति से 24 घंटे में से केवल 12 घंटे तक का काम लिया जाए पर इसके लिए नियोक्ता को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से डेढ़ गुनी मजदूरी का भुगतान करना होगा ।

निर्धारित मजदूरी/वेतन अधिनियम और उसके क्रियान्वयन का दायित्व

निर्धारित न्यूनतम मजदूरी/वेतन अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व वैसे तो श्रमिक संगठन के अधिकारियों का है किन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि म.प्र. बड़ा राज्य है तथा इसमें खेतिहर श्रमिकों की संख्या भी काफी अधिक है जो अनुमानतः साठ लाख से अधिक होगी, इसमें 76 हजार से भी अधिक ऐसे गांव हैं जो पिछड़े और यातायात की दृष्टि से पहुंचविहीन हैं । इतने बड़े क्षेत्र में अधिनियम का सही क्रियान्वयन सुनियोजित ढंग से श्रमायुक्त संगठनों में पदस्थ निरीक्षकों से कराया जाना काफी कठिन है क्योंकि श्रम निरीक्षकों की संख्या प्रदेश में काफी कम है । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने राजस्व विभाग के समस्त नायब तहसीलदार, सहायक भू-अभिलेखी, राजस्व निरीक्षक, आदिमजाति कल्याण विभाग के क्षेत्रीय संगठन, विकासखण्ड अधिकारी, पंचायत निरीक्षक और सभी ग्राम पंचायतों को निरीक्षक घोषित किया है । इन अधिकारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम क्रियान्वयन संबंधी विशेष अनुभव न होने के कारण श्रम संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालयों पर समय-समय प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनके उपयोग के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम निरीक्षण संबंधी एक मार्ग दर्शिका भी प्रकाशित की गई है । इसमें विस्तृत प्रक्रिया देकर उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी से कम मिलने पर आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए । इन अधिकारियों के लिए यह भी निदेश दिये गये हैं कि वे प्रत्येक माह में कम से कम दस न्यूनतम मजदूरी के प्रकरणों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन श्रमायुक्त संगठन और वरिष्ठ अधिकारियों तक नियमित रुप से भेजते रहें । इसके साथ ही इन अधिकारियों की त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं जिनमें सभी स्तर के अधिकारी आपस में इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा करते हैं और जो भी निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनका किस सीमा तक पालन किया जा रहा है या उनके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी अड़चनें आ रही हैं, इस संबंध में समीक्षा की जाती है । इन बैठकों में समय-समय पर संभागीय श्रमायुक्त भी पहुंचकर मार्गदर्शन देते हैं ।

निर्धारित न्यूनतम वेतन/मजदूरी अधिनियम अनुपालन संबंधी निरीक्षण प्रक्रिया

न्यूनतम वेतन/मजदूरी अधिनियम में नियुक्त किये गये निरीक्षक समय-समय पर अपने कार्य क्षेत्र में मजदूरों को अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी मिल रही है अथवा नहीं इसका मौके पर हीं खेतिहर मजदूर और श्रमिकों से बातचीत कर उनके कथनों को लिपिबद्ध करते हैं । खेतिहर मजदूर के कथन के आधार पर यह निरीक्षक की समझ में आता है कि उसे वेतन दर से कम वेतन/मजदूरी प्राप्त हो रही है या पूरी । यदि मजदूरी/वेतन कम मिल रहा है तो सेवा नियोजक को समझाकर कमवेतन दर की पूर्ति किये जाने के प्रयास किये जाते हैं । साधारणतः निरीक्षण खेतिहर श्रमिक और सेवानियोजक की उपस्थिति में ही किये जाते हैं तथा निरीक्षण टीप में दोनों के हस्ताक्षर अथवा अगूंठा निशान लगवा लिये जाते हैं और यदि कम वेतन/मजदूरी दी जाती है तो इस टीप में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि श्रमिक को निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है । निरीक्षक द्वारा यह टीप तैयार कर नियमानुसार कम वेतन मजदूरी देने का प्रकरण तैयार कर अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण भेज दिया जाता है जहां प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन देने पर सेवानियोजक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है । इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष श्रमिक स्वयं अथवा ट्रेडयूनियन के प्राधिकारी जिसे श्रमिकों ने अधिवृत किया हो या प्राधिकारी की अनुमति से कोई भी व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक सेवा नियोजक द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन/मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है । इस तरह के आवेदन पत्र एक साल तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं किन्तु यदि प्राधिकारी को यह संतोष हो जाए कि निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण हो तो देर से आए आवेदन पत्रों को भी स्वीकार कर लिया जाता है । श्रमिक को निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा कोई कोर्टफीस नहीं लगती है केवल उसे सादे कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है । ☐

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,
एच-1- सिविल लाइन्स, टीकमगढ़
(म.प्र.)

अमृतफल अमरूद

—ललन कुमार प्रसाद

जनसाधारण का प्रिय फल अमरूद भारत के सर्वश्रेष्ठ फलों में स्थान रखता है और लगभग पूरे साल यह फल उपलब्ध रहता है। सस्ता, सुलभ, स्वादिष्ट और पौष्टिक होने के कारण सभी वर्ग के लोग इसका उपयोग करते हैं। इस अर्थ में अमरूद एकदम समाजवादी है। इलाहाबादी अमरूद तो इतना स्वादिष्ट, मीठा और कम बीज वाला होता है कि लोग उसे "इलाहाबाद का पेड़ा" कहते हैं। उसका सुवास ऐसा होता है कि लोग दूर से ही इलाहाबादी अमरूद की ओर आकर्षित होने लगते हैं।

रासायनिक संगठन

अमरूद में जल 76%, प्रोटीन 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 14.5%, रेशा 6.9% कैल्शियम 0.01%, खनिज पदार्थ 0.8%, फॉस्फोरस 0.44%, चर्बी 0.2%, लोहा 10 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम और विटामिन-सी 270 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। इसमें विटामिन-ए और विटामिन-बी भी होते हैं।

उत्पत्तिस्थान

इलाहाबादी अमरूद पर तो सभी फिदा हो जाते हैं। खासकर "इलाहाबादी सफेदा" अमरूद तो मात्र हमारे देश में ही नहीं, वरन विदेशों में भी अपनी उम्दा किस्म के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद का वृक्ष एक उष्म कटिबन्धीय वृक्ष है। यही कारण है कि भारत की जलवायु अमरूद की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारे देश में इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। वैसे तो हमारे देश में यह लगभग सर्वत्र पैदा होता है। लेकिन विशेष रूप से इसकी भरपूर पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अग्रणी है। उत्तर प्रदेश तो भारत का सर्वाधिक अमरूद उत्पन्न करने वाला प्रदेश है।

किन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमरूद स्वदेशी फल नहीं है। भारत में इसका प्रवेश सोलहवीं शताब्दी के कुछ पहले हुआ और अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहीं का देशज है। जब मैक्सिकोवासी व्यापार करने के लिए भारत आये तो अमरूद भी अपने साथ लेते आये। यहां आकर उन्होंने भारतवासियों को अमरूद खिलाया ही नहीं, यहां की जमीन पर उसके पेड़ भी रोप दिये। वे तो व्यापार करके चलते बने, परन्तु अमरूद यहीं का होकर रह गया।

किस्में

अमरूद की किस्मों का वर्गीकरण फल के आकार, रंग, बाह्य आकृति और स्थानीय लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यूं तो अमरूद की लगभग 92 किस्में हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैं— चित्तीदार, करेला, अमरूद, सेब, बेदाना, लाल गूदिया, लखनऊ 49, अनाकापल्ले, हारीजाह, बेहट कोकोनट, हफजी और इलाहाबादी सफेदा।

उपयोग

इस बात से सभी चिकित्सक और आहारशास्त्री सहमत हैं कि यह हृदय, मस्तिष्क तथा अमाशय को बल देने वाला है। इसमें फेफड़ों को सशक्त बना देने की बड़ी क्षमता है। इसके उपयोग से पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर की अनावश्यक उष्णता कम होती है। यह शरीर को शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। अतः यह स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त उपयोगी फल है। इतना ही नहीं, अमरूद के सेवन के द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कुछ प्रमुख बीमारियों का इलाज निम्न प्रकार होता है।

पेट की बीमारी

जिस किसी को कब्ज की बीमारी हो, उसे खाली पेट कुछ दिनों तक पके अमरूद का सेवन करना चाहिये। इससे कब्ज दूर हो जाती है तथा भूख भी बढ़ती है।

पके अमरूद को सोंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ सेवन करने से अफारा दूर हो जाता है। भोजन के पूर्व यदि इसका सेवन किया जाय तो दस्त को बांधता है और भोजन के बाद सेवन करने से पाचन-क्रिया में वृद्धि करके पेट को साफ करता है।

अमरूद की फुनगी को नमक के साथ खाने पर पेट का दर्द मिट

जाता है । पेट-दर्द में अमरूद को नमक के साथ खाने पर भी आराम मिलता है ।

अमरूद के कोमल पत्तों के लगभग एक तोला रस में थोड़ा-सा गुड़ मिला कर लगातार सात दिन तक प्रातःकाल सेवन करने से भूख बढ़ जाती है ।

हृदय रोग

पके अमरूद को महीन कतरकर उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिलावें । फिर उसे धीमी आंच या भाप पर पकावें । जब वह चटनी की तरह बन जाय तो उसका सेवन करें । इससे हृदय सशक्त होता है ।

दांत का दर्द

अमरूद की पत्तियों को पानी में उबालें और फिर प्राप्त काढ़े से कुल्ला करें । ऐसा करने से दांतों का दर्द और मसूढ़ों की सूजन दूर की जाती है । अमरूद से दातुन करने पर दांत और मसूढ़े मजबूत होते हैं ।

नशा

अमरूद की पत्तियां चबाने से भांग, गांजा इत्यादि तथा शराब तक का नशा दूर हो जाता है । यदि किसी व्यक्ति हो भांग, अफीम आदि का नशा चढ़ गया हो, तो पका अमरूद खिला दें, नशा उतर जायेगा ।

खून की खराबी

खून की खराबी के कारण यदि किसी व्यक्ति को फोड़े-फूंसी निकल आयें, तो कुछ दिनों तक नियमित रूप से पके अमरूद का सेवन करने पर बड़ा लाभ होता है । इसके सतत् सेवन से कई चर्म रोग दूर हो जाते हैं । ऐसा इसलिए कि अमरूद रक्त को शुद्ध बनाता है और साथ ही उसमें वृद्धि भी करता है ।

मुंह में छाले

अमरूद की पत्ती और कत्था को पान की तरह चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं ।

अमरूद खाइये, पर....

अमरूद खाकर तुरन्त पानी पीने से यह कफकारक असर दिखाता है । अतः पानी पीना हो तो फल को खाने के एक घंटे पूर्व या बाद ही पिएं ।

जहां तक हो सके सर्दी-जुकाम, खांसी, श्वास, कफ प्रधान रोगों से पीड़ित व्यक्ति अमरूद का सेवन न करें, क्योंकि इसकी प्रवृति कफवर्धक है ।

शाम को या रात्रि में इस फल का सेवन करना ठीक नहीं, क्योंकि यह प्रवृति में शीतल होता है ।

अमरूद अधिक खाने से बात् , पित बढ़ना और सर्दी जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं । पेट की अनेक बीमारियों से पीड़ित और बहुत कमजोर लोगों को भी यह फल कम मात्रा में खाना चाहिये ।

बरसात की अपेक्षा शीतकाल में उत्पन्न हुए अमरूद अधिक गुणकारी और तृप्तिदायक होते हैं । वर्षा के अमरूद में सूक्ष्म, श्वेत कीटाणु हो सकते हैं, जिनकी वजह से पेचिश, हैजा, आदि की शिकायतें हो सकती हैं । अतः बरसात के मौसम में फल खाने से पहले काट कर फल की जांच कर लेनी चाहिये ☐

शिव मन्दिर के बगल में,
बाकरगंज, बजाजा गली,
बांकीपुर, पटना-800004

क्या आप जानते हैं

* बायोगैस से ग्रामीण परिवारों को सस्ते में ऊर्जा उपलब्ध होती हैं, ईंधन के लिए लकड़ी की मांग में भी कमी आती है । इसका स्रोत एक पुर्नप्रयोग का स्रोत है ।
* उपले जलाने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है बायोगैस से संयंत्र से उतने ही उपलों से उससे 20 प्रतिशत अधिक ऊर्जा तैयार की जा सकती है ।
* गढ्ढे में गोबर जमा करने से जितना खाद तैयार की जाती हैं बायोगैस संयंत्र से उसके मुकाबले में गोबर की उतनी ही मात्रा से 43 प्रतिशत अधिक खाद तैयार की जा सकती है ।
* बायोगैस संयंत्र द्वारा तैयार की गई खाद की किस्म साधारण खेतों में तैयार की गई खाद से कहीं अधिक बेहतर होती है ।
* बायोगैस से खाना बड़े आराम से जल्दी तैयार हो जाता है जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीण महिलाओं को अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है ।
* स्वच्छ शौचालयों से संबंध बायोगैस संयंत्र की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और हजारों की संख्या में ऐसे संयंत्र महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में लगाए गए हैं । ☐

************** ************ **************
************** ************ **************
************** ************ **************

केरल में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण

रामबिहारी विश्वकर्मा

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त, 1979 से शुरु की गई थी । योजना में मुख्य बल 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवकों को आवश्यक दस्तकारी तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया जाता है, ताकि वे स्व-रोजगार शुरु कर सकें ।

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत चयन हेतु प्राथमिकता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उन व्यक्तियों को दी जाती है, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह के पाठ्यक्रम में भाग लिया हो । ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थियों में एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी जरुरी है ।

प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत पद्धति, संस्थानों, मास्टर प्रशिक्षकों या मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की है । इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध है–गैर- आवर्ती तथा आवर्ती ।

गैर-आवर्ती सहायता

इस मद के लिए 1985-86 में 2.50 करोड़ रुपये का अलग बजट प्रावधान किया गया । आधार-ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता केवल भारत सरकार द्वारा ही मंजूर की जा सकती है । जिसके लिए सभी प्रस्ताव राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग को भेजने होते हैं ।

सहायता की मदें

सहायता, भवन, वर्कशाप, मत्स्य तालाब, शेड उपकरण तथा प्रशिक्षण के साधन, परिवहन के लिए गाड़ियों (चलते-फिरते प्रशिक्षण खण्ड के लिए) तथा आवास सुविधाओं के लिए दी जाती हैं ।

आवर्ती सहायता

प्रशिक्षुओं को 75 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक की दर से वजीफा दिया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण का आयोजन गांव में है या गांव से दूर और आवास की व्यवस्था किराये पर है या निःशुल्क । मास्टर शिल्पियों को मानदेय देने, 500 रुपये तक के औजार किट की व्यवस्था करने और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कच्चा माल मुहैया कराने का प्रावधान भी किया गया है ।

लाभभोगियों को सहायता तथा ऋण

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को परियोजना रिपोर्ट, जिन्हें बैंक ग्राह्य योजनाओं के रुप में परिवर्तित किया जाता है, तैयार करने में सहायता दी जाती है । प्रशिक्षुओं को राज-सहायता तथा बैंक ऋणों के लिए जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के पैटर्न पर दिये जाते हैं, आवेदन-पत्र देने में सहायता की जाती है ।

सम्पूर्ण आवर्ती व्यय समान्वत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों से सुलभ किया जाता है और इसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है ।

केरल में वर्ष 1985-86 के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल यद्यपि देश के सिक्किम को छोड़ सबसे छोटा राज्य है किन्तु इसकी तुलना में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) के क्षेत्र में इसकी उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक हो पाई है । वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य ने 6605 युवाओं को ट्राइसेम के अधीन प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा । यह लक्ष्य सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 12 वें स्थान पर आता है । इनमें से नवम्बर 1985 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1508 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया जिसके अनुसार राज्य को इस क्षेत्र में उपलब्धि का स्थान 14 वां बैठता है । स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त इन युवाओं में से 360 युवा स्वरोजगार शुरु कर चुके थे और यह उपलब्धि सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 15 वें स्थान पर आती है । 522 युवाओं ने प्रशिक्षण लेने के बाद अपना काम तो शुरु नहीं किया किन्तु वे अन्यों के उद्योग धन्धों में मजदूरी पर रोजगार प्राप्त कर पाए ।

इस प्रकार यह स्पष्ट होकर सामने आता है कि लक्ष्य से उपलब्धि पिछड़ती गई और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित युवाओं

में स्वरोजगार करने वालों की संख्या मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या से बहुत कम है ।

किन कारणों से अधिकांश प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार शुरु नहीं कर पाए इससे संबद्ध जिम्मेवार अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए गहन अध्ययन का विषय प्रस्तुत करता है । साथ ही उन कारणों को भी जानने की जरुरत है जिनके कारण संदर्भ वर्ष के 8 महीने में सामान्य रुप से 6605 युवा प्रशिक्षण के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि लगभग 4402 होनी चाहिए थी जबकि वास्तविक उपलब्धि बहुत ही कम (1508) है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद द्वारा केरल की ट्राइसेम योजना के मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट से कुछ सुझावों के संकेत मिलते हैं । उनके प्रकाश में सुधारों की आवश्यकता है । प्रशिक्षुओं को उपयुक्त प्रौद्योगिकी में इतना दक्ष किया जाना चाहिए कि वे स्वरोजगार चलाने के आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएं । ट्राईसेम प्रशिक्षुओं संबंधी चयन समिति के बैंकरों सहित सभी सदस्य चयन प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल रहें । हर जिले में उपयुक्त स्तर का प्रशिक्षण केन्द्र हो । प्रशिक्षार्थी और चयनित शिल्प सम्बन्धी आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की संभावनाओं का सही सही पता लगाया जाए । प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को उद्योगों की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरुप विकसित किया जाए और विपणन तथा कच्चा माल आपूर्ति व्यवस्था को विशेष महत्व दिया जाये । इस संबध में केरल राज्य द्वारा राज्य स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के हितार्थ एक विपणन समिति (मार्केटिंग सोसायटी) का पंजीकरण एक अच्छी शुरुआत है । आशा है उपयुक्त स्तरों पर इसकी शाखाओं का विकास शीघ्र किया जाएगा और स्वरोजगार उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल का विक्रय सुविधा पूर्वक शीघ्र हो सकेगा जिससे इन नवउद्यमियों का जीवन स्तर सुधरेगा और गरीबों के आर्थिक विकास की अच्छी फिजा पैदा होगी ।

केरल राज्य में ग्रामीण युवकों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अनेक युवा ऐसे हैं जिनके उत्पादन, स्थान विशेष की मांग से इतने मेल खाते हैं और उनके उत्पादन गुणवत्ता की दृष्टि से इतने अच्छे हैं कि उन्हें विपणन की कोई समस्या नहीं है । जितना माल वे तैयार करते हैं तुरंत बिक जाता है । ऐसे चार युवाओं के सफलता संबंधी तथ्य हमें केरल ग्रामीण विकास त्रिवेन्द्रम के ग्रामीण सूचना ब्यूरो के चीफ आफिसर से प्राप्त हुए हैं जो पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

श्रीमती श्रीदेवी को गर्व है

त्रिचूर जिले के माला विकास खण्ड में पोइया के निवासी श्री पुलिक्का परम्बिल पोइया को सात सदस्यों के अपने परिवार का भरण पोषण केवल मछली पकड़ने द्वारा आजीविका कमाकर करना बेहद कठिन हो रहा था । वह समझ नहीं पा रहा था कि इस अधभुखमरी और अभाव के जीवन से परिवार को कैसे मुक्त किया जाए ।

माला ब्लाक के अधिकारियों से एक बार मुलाकात के समय जब उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत चल रहे (ट्राइसेम) स्वरोजगार के लिए युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पता चला तो उन्होंने अपनी सुपुत्री श्रीमती पी जी. श्रीदेवी को स्वरोजगार संबधी प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास किया । श्रीमती पी.जी. श्रीदेवी का हथकरघा बुनाई के प्रशिक्षण के लिए चयन कर लिया गया और उन्हें पोइया हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव प्रोडक्शन एण्ड सेल सोसायटी लिमिटेड के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ।

प्रशिक्षण के बाद श्रीमती श्रीदेवी को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत उनके घर के पास ही एक कार्यशाला समेत कुल मिलाकर 4500 रुपये का ऋण दिया गया जो उन्हें बैंक आफ कोच्चिन लिमिटेड पोइया द्वारा उपलब्ध किया गया जिसमें से 1500 रुपये की श्रीमती श्रीदेवी को छूट मिल गई जिससे ऋण राशि घटकर केवल 3000 रुपये ही रह गई ।

अब श्रीमती श्रीदेवी 40 एस. के धागे से प्रतिदिन 4-5 मुण्डु (केरल में आम इस्तेमाल में आने वाली दो गजी धोती) बुन लेती हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 17 रुपये की आय हो जाती है । श्रीदेवी ने पूछने पर बताया कि वे बड़े गर्व का अनुभव कर रही हैं क्योंकि अब वह अपने बाप के साथ अपने परिवार के लिए रोटी कमाने में अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं ।

श्रीमती श्रीदेवी के प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान श्रीदेवी ने बहुत लगन व चुस्ती तथा फुर्ती से प्रशिक्षण हासिल किया ।

एस.के. मोहनन नायर अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं

त्रिवेन्द्रम ग्रामीण ब्लाक में केशव विलासोम नेत्तायम निवासी श्री के. मोहनन नायर को पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की बड़ी चिन्ता थी । हालांकि उनकी सभी तीनों बहनें शादीशुदा हैं परन्तु मां और तीन अन्य भाइयों की जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं है और विशेषकर उस दशा में जब ऐसी जिम्मेदारी बाप की मृत्यु जैसी दुखद घटना के कारण अचानक

वहन करनी पड़े ।

किन्तु श्री मोहनन नायर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसरों की खोज में लगे रहे । त्रिवेन्द्रम विकास खण्ड के अधिकारियों से एक दिन मुलाकात के समय उन्होंने स्थिति बताई । विचार-विमर्श जांच पड़ताल और आवश्यक कार्यवाही के बाद श्री मोहनन नायर का ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) के अधीन वैल्डिंग के प्रशिक्षण के लिए चयन कर लिया गया । जिसके तहत उन्हें वजथाकोड के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पर 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया । जिसके बाद उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन इंडियन ओवरसीज की पी.ओ. डब्ल्यू शाखा ने वैल्डिंग संयंत्र और उपकरण खरीदने के लिए 9000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जिसमें से 3000 रुपये की उन्हें छूट मिल गई और 6000 रुपये ही ऋण स्वरुप बचे ।

श्री मोहनन नायर अब अपने वैल्डिंग संयंत्र व औजारों की मदद से इस्पात की कुर्सियां, ग्रिल के दरवाजे तथा अलमारियां आदि का निर्माण कर रहे हैं जिस से उन्हें लगभग 600 रुपये प्रतिमाह की आय हो जाती है । श्री नायर ने अपने वैल्डिंग एकक के फलस्वरूप हुई आय से की गई बचत और अपने मित्रों की सहायता से 4500 रुपये मूल्य की एक ड्रिलिंग मशीन और 3000 रुपये मूल्य का एक ग्राईंडर भी खरीद लिए हैं ।

श्रीमती के. पदमा कुमारी ने शान से अपनी बेकरी का शुभारंभ किया

राज्य के ऐलेप्पी जिले की मुत्थुकुलम की रहने वाली श्रीमती के पद्मा कुमारी एक गरीब कृषि मजदूर परिवार से हैं । मुत्थुकुलम विकास खण्ड ने इनका चयन जब ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए किया तो इनके लिए बेकरी का प्रशिक्षण अधिक सुविधाजनक पाया गया । लिहाजा इन्हें कोट्टाराकारा तथा गांधी स्मारक बेकरी त्रिवेन्द्रम के प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा गया ।

प्रशिक्षण के पश्चात् श्रीमती पद्मा कुमारी को भारतीय स्टेट बैंक कायमकुलम द्वारा 7500 रुपये की सहायता दी गई जिसमें से 2500 रुपये की उन्हें अनुदान छूट मिल गई । इस प्रकार ऋण वापसी रही केवल 5000 रुपये की । आर्थिक सहायता से श्रीमती के पद्मा कुमारी ने पकाने की भट्टी (बेकिंग ओवेन) ट्रे, सांचे (मोल्ड्स), तुला (व्हेइंग बैलेंस), डबलरोटी काटने के चाकू (स्लाइसिंग नाइव्स) तथा मेज (टेबल) आदि बेकरी उपकरण खरीदे ।

श्रीमती पद्मा कुमारी अपनी बेकरी में स्पंज केक, कप केक, बिस्कुट, जलेबी, लड्डू, हलवा, मैदा बड़े, चिल्ली बिस्कुट, मिकस्चर, ब्रैड तथा तिरंगे बिस्कुट तैयार कर रही हैं । वे अपने वर्तमान व्यवसाय को बड़े उल्लासपूर्वक चला रही हैं । यद्यपि श्रीमती पद्मा कुमारी को ऋण मंजूर कराने में कुछ दिक्कत हुई और उसकी स्वीकृति में कुछ देर लगी परन्तु उनकी बेकरी की शुरुआत बाकायदा उद्घाटन समारोह द्वारा की गई ।

श्रीमती तनकामणि की फर्म द्वारा तैयार ब्रेसियर्स की वडाकरा और पय्योली में बड़ी मांग है ।

कोजिकोड जिले के कोजिकोड़ ग्रामीण विकास खण्ड में बम्बियार वीह निवासी श्रीमती तनकामणि को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अधीन चयन के बाद दर्जी और चोलियां बनाने (टेलरिंग एण्ड ब्रेसियर मेकिंग) के काम का प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 2500 रुपये की सिलाई मशीन और आलमारी आदि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई ।

अब श्रीमती तनकामणि एक अन्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाभार्थी श्री शशीन्द्रन के सहयोग में कार्य कर रही हैं । श्री शशीन्द्रन ने भी स.ग्रा.वि.का. के तहत प्राप्त सहायता से दो मशीनें खरीदी थीं । दोनों लाभार्थी स्थानीय बाजार के लिए चोलियां (ब्रेसियर्स) बनाते हैं ।

श्रीमती तनकामणि ने बताया कि वह 20 रुपये प्रतिदिन पा रही हैं और अपना बैंक ऋण बड़ी तत्परता से लौटा रही हैं । इनका विचार एक और सिलाई मशीन खरीद कर अपनी तीन बहनों के साथ एक अलग यूनिट शुरू करने का है । इनके द्वारा निर्मित चोलियों (ब्रेसियर्स) की वड़ाकरा और पय्योली के बाजार में बहुत अच्छी मांग है । □

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के सभी परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर जल्दी से जल्दी लाभार्थी सलाहकार समितियों का गठन करें। जिससे लक्षित समूह-परिवार अपने को मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकें।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर आयोजित की गई तीसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामानन्द यादव ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों से कहा कि वे भारत सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी संभव प्रयास करें।

ग्रामीण विकास विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने कार्यक्रमों से सम्बन्धित संशोधित नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया है।

श्री यादव ने कहा कि केंद्र के नीति निर्धारकों और क्षेत्र में इस नीति के तहत कार्यक्रम को लागू करने वाले कर्मचारियों के बीच जानकारी का अंतर पाया गया है। उन्होंने भाग ले रहे सभी कार्मिकों से कहा कि वे सीधे बातचीत करके तथा उनके सामने आ रही संचालन सम्बन्धी समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने रखकर इस अंतर को दूर करें।

मंत्री महोदय ने सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों को सौंपी गई भूमिका के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने परियोजना निदेशकों से इन एजेंसियों को सभी संभव सहायता देने तथा नियोजन और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को लागू करने में उनका सहयोग लेने को कहा। मंत्री ने परियोजना निदेशकों से अनुरोध किया कि वे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर जितनी जल्दी हो सके, लाभ प्राप्तकर्ता सलाहकार समितियों का गठन करें ताकि लक्षित समूह परिवार अपने लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त कर सकें। □

सामाजिक पिछड़ेपन और गरीबी खत्म करने के बहुआयामी उपाय

कल्याण मंत्री डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, विशेष रूप से क्षेत्र स्तर पर प्रशासन को अधिक सक्रिय बनाने को कहा है। उन्होंने बल दिया कि यह कार्य आम ढर्रे से नहीं बल्कि विशेष समर्पण भाव के साथ होना चाहिए। ये विचार डा. बाजपेयी ने हाल ही में अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सुविधाओं के गुणात्मक महत्व पर बल दिया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन करने व उन पर नजर रखने के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। बैंकिंग विभाग सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत हों या आर.डी.आर. आई. कार्यक्रम के, बैंकों से गरीबों तक, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समिति के सदस्यों ने बैंकों में गरीबों के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों द्वारा दिये गएं इन ऋणों में सहायता अंशदान भी उपलब्ध होना चाहिए तथा ऋण लेने वालों के हित में, ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि ऋण लेने वालों पर किसी विशेष विक्रेता से ही दुधारु पशु खरीदने की शर्त नहीं होनी चाहिए। समिति को बताया गया कि बैंकिंग विभाग ने गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में दो परिपत्र जारी किये हैं। डा. बाजपेयी ने सदस्यों से कहा कि वे इन परिपत्रों का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करें ताकि जरूरतमंद लोगों को उन्हें उपलब्ध लाभों के बारे में जानकारी मिल सके।

बैठक में जिन महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया गया उनमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का

15 सूत्री कार्यक्रम और पंजाब वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा शामिल है। वक्फ (संशोधन) 1984 के लागू होने के बारे में सदस्यों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया जा चुका है तथा अन्य प्रावधानों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के बारे में यह विचार व्यक्त किया गया कि इस बुराई का मूल कारण इन लोगों का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना है। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि सामाजिक पिछड़ेपन और गरीबी को विरुद्ध बहुआयामी कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकारों के लिए व्यापक मार्गनिर्देश जारी किये गए हैं तथा राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क रखा गया है ताकि इनके समुचित पालन को सुनिश्चित किया जा सके।

कल्याण मंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए कार्मिक मंत्रालय से आग्रह किया जाना चाहिये। □

पुस्तक का नाम : क्रान्तिज्योति सावित्रीबाई फूले
लेखक : डा. एम.जी. माली
प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001
वर्ष : 1986
मूल्य : दस रुपये

19वीं शताब्दी भारतीय पुनर्जागरण का काल रहा है। जब भारत रुढ़िगत परम्पराओं और कुरीतियों से ग्रस्त था तब छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का प्राबाल्य था। ऐसे समय कई समाज-सुधारक भारत भूमि पर अवतरित हुए और कई प्रकार की सामाजिक क्रांति लाए। उन्हीं में एक थीं, "क्रान्तिज्योति सावित्रीबाई" जिनकी जीवन गाथा को प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डा. एम.जी. माली ने सावित्रीबाई फूले की प्रामाणिक जीवनी बड़े रोचक ढंग से लिखी है।

सावित्रीबाई का जन्म एवं बचपन, उनका विवाह, तत्कालीन नारी स्थिति, उनके अध्ययन और अध्यापन, उपेक्षितों की शिक्षा की नींव, प्रेरणा स्रोत, सामाजिक जीवन, नारी-मुक्ति आन्दोलन की प्रथम नेता, साहित्य सृजन तथा उनके जीवन के कुछ प्रसंग स्वाभाविक लगते हैं। वस्तुतः लेखक ने सावित्रीबाई फूले के कार्यकलापों को काल के गर्त से निकालकर पाठकों के सम्मुख एक अमूल्य निधि प्रस्तुत की है। पुस्तक में महाराष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सावित्रीबाई फूले के प्रति महात्मा ज्योतिना फूले का कार्य निःसन्देह स्तुत्य है और उनके महान कार्य में सावित्रीबाई फूले ने न केवल साथ दिया वरन् उसे आगे बढ़ाने में अपना जीवन लगा दिया।

महात्मा फूले द्वारा चलाये गये अस्पृश्यता उन्मूलन के क्रान्ति कार्यों को सावित्रीबाई ने सहयोगिनी के रूप में सच्ची लगन और अथक परिश्रम द्वारा पूरा किया। अतः सावित्रीबाई ने अस्पृश्यता निवारण को अपने कार्य का महत्वपूर्ण अंग समझते हुए शूद्रों के उद्धार के लिये महान कार्य किया। काल में नारी केवल ऐश्वर्य और विलासिता की वस्तु समझी जाती थी। उसे शिक्षा देना और स्वतंत्रता प्रदान करना अपराध जैसा माना जाता था। ऐसे कठिन समय में एक अध्यापिका के रूप में सावित्रीबाई ने स्त्री शिक्षा की शुरूआत की। उनके सामने अनेक बाधाएं आईं। विरोधियों ने उन्हें कर्त्तव्यपथ से विमुख करना चाहा परन्तु ऐसी स्थिति में भी कर्त्तव्यपरायणता और निर्भीकता का परिचय उन्होंने जिस साहस से दिया वह पाठकों के लिये दीपस्तम्भ की भांति है। सावित्रीबाई ने सती प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह का डटकर विरोध किया। लेखक ने सावित्रीबाई के चरित्र चित्रण के साथ सती हुई स्त्रियों की सूची भी दी है जिसे देखकर उस समय की भयावह स्थिति का पता चलता है।

इसके अतिरिक्त सावित्रीबाई न केवल समाज सुधारक बल्कि एक महान प्रतिभासम्पन्न कवयित्री और साहित्यकार थीं। उनके दो काव्यसंग्रह प्रकाशित हुए—"काव्यफूले" और "बावनकशी सुबोध रत्नाकर"। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर उनकी कई पुस्तकें मिलती हैं।

इस प्रकार यह पुस्तक एक ऐसी महान ज्योति के बारे में है, जो समाज और देश की दीपशिखा थीं, जिसकी अनन्य ज्योति में समाज आगे बढ़ सकता है।

सन्तोष मेहता
जी-14/12, मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017

2. वर्षा पर निर्भर कृषि विकास

हम :

- जमीन की नमी बनाये रखने के लिए तकनीकी सुधार और भूमि तथा जल संसाधनों की बेहतर व्यवस्था करेंगे;
- उन्नत बीजों का विकास और उनका समुचित वितरण करेंगे; और
- सूखे की सम्भावनाओं को कम करेंगे – इस काम के लिए सूखा प्रवण कार्यक्रम और सूखा राहत कार्यक्रम में समुचित परिवर्तन लायेंगे ।

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN)
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
पंजाब नेशनल प्रेस बी-11/2 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2
नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित.